(147)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

26/5/99

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1999/माघ 23, 1920
No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 1999/MAGHA 23, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1999

सा. का .नि. 104(अ).— केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को गोवा राज्य में यथा प्रवृत्त गोवा, दमण और दीव दुकान और स्थापन अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्यांक 13) का विस्तार दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए करती है, अर्थात्:—

उपांतरण

1. सम्पूर्ण अधिनियम में (अधिनियमन सूत्र में और धारा 1 की उपधारा (1) में के सिवाय), जब तक कि अन्यथा निदेशित न हो ''गोवा, दमण और दीव'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते है ''दादरा और नागर हवेली'' शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 24 की उपधारा (1) में ''19 दिसम्बर'' अंक और शब्द के स्थान पर ''2 अगस्त'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 42 में, ''न्यायिक आयुक्त के परामर्श से'' शब्दों का लोप किया जाएगा और ''सिविल न्यायाधीश को (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायिक प्राधिकारी कहा गया है)'' शब्दों के स्थान पर ''दादरा और नागर हवेली प्रशासन के उप कलक्टर की अन्यून पंक्ति के अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है)'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 43 में ''न्यायिक प्राधिकारी'' शब्द के स्थान पर जहां -जहां वे आते है ''सक्षम प्राधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 59 की उपधारा (4) ''गोवा, दमण और दीव विधान सभा के समक्ष यदि वह सत्र में हो'', ''चौदह दिन'' और ''विधान सभा सहमत हो जाए'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो'', ''तीस दिन'' और ''दोनों सदन सहमत हो जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 87 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/6/95-यूटीएल (193)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

गोवा, दमण और दीव दुकान और स्थापन अधिनियम 1973

(1974 का अधिनियम संख्यांक 13) (7 अक्तूबर 1974)

दुकानों वाणिज्यिक स्थापनों, उपाहारगृहों, नाट्यगृहों और अन्य स्थापनों के कार्य और उनमें नियोजन की शर्तों के विनियमन और उनसे संशक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में गोवा, दमण और दीव की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमण और दीव दुकान और स्थापन अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी तारीखों को प्रवृत्त होगा जो सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "शिक्षु" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्थापन में किसी व्यापार, शिल्प या नियोजन में प्रशिक्षित होने के प्रयोजन के लिए, चाहे यह मजदूरी के संदाय पर हो या नहीं, नियोजित है;

(2) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूरे नहीं किये हैं;

(3) "बंद" से अभिप्रेत है जो लदाई, उतराई और वार्षिक स्टाक मिलान के सिवाय स्थापन से संबंधित किसी ग्राहक की सेवा के लिए या किसी व्यापार या कारबार के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए खुला नहीं है;

(4) "वाणिज्यिक स्थापन" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जिसमें किसी कारबार, व्यापार या वृत्ति से संबंधित या उसके आनुषंगिक या अनुषंगी कोई कारबार, व्यापार या वृत्ति या अन्य कार्य किया जा रहा है और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(क) सोसाइटी रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 21) के अधीन रजिष्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या पूर्त या अन्य न्यास चाहे रजिष्ट्रीकृत है या नहीं जिसमें कोई कारबार, व्यापार या वृत्ति की जा रही है या यह ऐसे कारबार, व्यापार या वृत्ति से संबंधित या अनुषंगी है;

(ख) ऐसा कोई स्थापन जिसमें विज्ञापन, कमीशन अभिकरण, अन्वेषण या वाणिज्यिक अभिकरण का कारबार किया जा रहा है या जो किसी कारखाने या किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम का लिपिकीय विभाग है;

(ग) कोई बीमा कंपनी, संयुक्त स्टाक कंपनी, बैंक, दलाल कार्यालय या एक्सचेंज; और

(घ) कोई अन्य स्थापन जिसे सरकार वाणिज्यिक स्थापन के रूप में अधिसूचित करे किन्तु इसके अन्तर्गत कोई कारखाना, दुकान, आवासीय होटल, उपाहारगृह, भोजनालय, नाट्यगृह या कोई अन्य लोक आमोद या मनोरंजन का स्थान नहीं है।

(5) "दिन" से चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है जो अर्ध रात्रि से प्रारंभ होती है सिवाय उस कर्मचारी के मामले में जिसके कार्य के घंटे अर्धरात्रि के आगे तक विस्तारित है, उस दशा में दिन से चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है जो उस समय से प्रारंभ होती है जब ऐसा नियोजन प्रारंभ होता है;

(6) "आश्रित" से मृतक कर्मचारी के संबंध में उसका नाम निर्देशिती या ऐसे नाम निर्देशिती के अभाव में उसका वारिस या विधिक प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(7) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से किसी स्थापन में या उसके संबंध में नियोजित है और इसके अन्तर्गत किसी कारखाने या औद्योगिक स्थापन का, जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 63) के विस्तार से बाहर है, कोई शिक्षु या कोई लिपिकीय या अन्य कर्मचारीवृन्द भी है;

किन्तु इसके अन्तर्गत किसी नियोजक या उसके भागीदार का ऐसा पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहन या आश्रित संबंधी नहीं है जो ऐसे नियोजक या भागीदार के साथ रह रहा है और उसपर आश्रित है और कोई मजदूरी प्राप्त नहीं कर रहा है;

(8) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास किसी स्थापन का प्रभार है या उस स्थापन में या उसके कार्य कलापों पर उसका अंतिम नियंत्रण है और इसके अन्तर्गत स्थापन का प्रबंधक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति है जो उसके साधारण प्रबंधन में कार्य करता है या नियंत्रण रखता है;

(9) "स्थापन" से ऐसी कोई दुकान, वाणिज्यिक स्थापन, आवासीय होटल, उपाहारगृह, भोजनालय, नाट्यगृह या लोक आमोद या मनोरंजन के अन्य स्थान अभिप्रेत हैं जिसे यह अधिनियम लागू होता है और इसके अन्तर्गत ऐसे स्थापन है जिन्हें सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थापन होना घोषित करे;

(10) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 63) के अर्थान्तर्गत कारखाना अभिप्रेत है;

(11) "माल" से सभी सामग्री, वाणिज्या और वस्तुएं सम्मिलित हैं;

(12) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(13) "उपदान" से धारा 39 के अधीन संदेय उपदान अभिप्रेत है;

(14) "निरीक्षक" से धारा 49 के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;

(15) "अधिसूचना" से गोवा, दमण और दीव सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(16) "खुला" से किसी स्थापन के संबंध में किसी ग्राहक की सेवा के लिए या किसी व्यापार सा सरकार के लिए खुला अभिप्रेत है;

(17) "कार्य की अवधि" से ऐसा समय अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई कर्मचारी किसी नियोजक के अधिकार में है;

(18) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(19) "आवासीय होटल" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसका प्रयोग ऐसे अतिथियों और यात्रियों के स्वागत के लिए किया जा रहा है जो उसमें ठहरने या सोने के इच्छुक हैं और इसके अन्तर्गत कोई क्लब भी है;

(20) "उपाहारगृह" या "भोजनालय" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं जिसमें पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिसर पर उपभोग के लिए जनता या जनता के किसी वर्ग को भोजन या जलपान प्रदाय करने का कारबार किया जा रहा है और इसके अन्तर्गत कोई हलवाई की दूकान भी है किन्तु इसके अन्तर्गत किसी नाट्यशाला से संबद्ध कोई जलपानगृह या किसी कारखाना से संबद्ध कोई जलपानगृह या कैन्टीन नहीं है यदि उसमें नियोजित व्यक्ति को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63) के अधीन कर्मकारों को उपलब्ध कराए गए फायदे अनुज्ञात किए गए हैं;

(21) "दुकान" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं जहां माल का खुदरा या थोक या दोनों रूप में विक्रय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है और इसके अन्तर्गत कोई कार्यालय, भंडार कक्ष, गोदाम, भांडागार, विक्रय डिपो और कार्यस्थल है चाहे वह उसी परिसर पर है या कहीं और, जो मुख्य रूप से उस व्यापार या कारबार के संबंध में उपयोग किया जा रहा है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई कारखाना, वाणिज्यिक स्थापन, आवासीय होटल, जलपानगृह, भोजनालय, नाट्यशाला या लोक आमोद या मनोरंजन का कोई अन्य स्थान या कोई दुकान जो किसी कारखाना से संबद्ध है, नहीं है जहां दुकान में नियोजित व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 63) के अधीन कर्मकारों के उपलब्ध कराए गए फायदे अनुज्ञात किये जाते हैं;

(22) "विस्तृति" से किसी दिन किसी कर्मचारी के कार्य के प्रारंभ और समाप्ति के बीच की अवधि अभिप्रेत है;

(23) "नाट्यगृह" के अन्तर्गत के ऐसा परिसर है जो मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से सिनेमा के माध्यम से या किसी अन्य उपयुक्त संयंत्र के माध्यम से या किसी ड्रामा या सर्कस में कार्य करने के लिए या किसी अन्य आमोद या मनोरंजन के लिए रंगचित्रों को प्रदर्शन या अन्य दृष्टि प्रभावों का प्रदर्शन करने के लिए आशयित है;

(24) "मजदूरी" से ऐसा प्रत्येक पारिश्रमिक अभिप्रेत है चाहे वह धन के निबंधनों में वेतन, भत्ते या अन्यथा अभिव्यक्त किया गया है या उसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो नियोजन के निबंधन, अभिव्यक्त या विवक्षित, पूरे किए गए होते, किसी कर्मचारी को उसका नियोजन के संबंध में या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य के लिए संदाय होते और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :—

(क) कोई पारिश्रमिक जो पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अधीन या किसी अधिकरण या न्यायालय के आदेश के अधीन संदेय है।

(ख) कोई पारिश्रमिक जिसके लिए कोई कर्मचारी अतिकाल में या छुट्टी या किसी अवकाश की अवधि में किए गए कार्य के सम्बन्ध में हकदार है ;

(ग) कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय है चाहे उसे बोनस कहा गया है किसी अन्य नाम से कहा गया है;

(घ) कोई राशि जो कर्मचारी के नियोजक के पर्यवसान के कारण किसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है जो ऐसी राशि के संदाय का उपबंध करती है, चाहे यह कटौती के साथ या कटौती के बिना हो, किन्तु उस समय का उपबंध नहीं करती जिसके भीतर संदाय किया जाना है;

(ङ) कोई राशि जिसके लिए कर्मचारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनायी गई किसी स्कीम के अधीन हकदार है;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(i) कोई बोनस, चाहे यह किसी लाभ की भागीदारी स्कीम के अधीन है या अन्यथा, जो नियोजक के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रामिक का भाग नहीं है, या जो पक्षकारों के बीच किसी पंचाट या समझौते के अधीन या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संदेय नहीं है;

(ii) किसी आवास सुविधा या विद्युत, पानी चिकित्सीय परिचर्या या अन्य प्रसुविधा या किसी अन्य सेवा का मूल्य जिसको मजदूरी की संगणना में से सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अपवर्जित कर दिया गया है;

(iii) नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में किया गया कोई अभिदाय और कोई ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो;

(iv) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(v) कर्मचारी को संदत्त कोई राशि जो उसके द्वारा उपगत अपने नियोजन की प्रकृति के कारण विशेष खर्चों को चुकाने के लिए की गई हो या

(vi) उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मामलों में नियोजक के पर्यवसान पर संदेय कोई उपदान;

(25) "सप्ताह" से तीन दिन की अवधि अभिप्रेत है जो शनिवार की अर्धरात्रि से प्रारंभ होती है;

(26) "युवा व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बालक नहीं है किन्तु उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

3. **स्थानों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण.**—(1) उपखंड (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्येक स्थापन का नियोजक संबद्ध निरीक्षक को ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, एक विहित प्ररूप में विवरण भेजेगा जिसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा —

(क) नियोजक और प्रबंधक, यदि कोई हो, का नाम;

(ख) स्थापन का डाक संबंधी पता;

(ग) स्थापन का नाम, यदि कोई है;

(घ) स्थापन का प्रवर्ग; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) विवरण और फीस की प्राप्ति पर निरीक्षक कथन की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर स्थापन रजिस्टर में स्थापन का रजिस्ट्रीकरण ऐसी रीति में करेगा जो विहित की जाए और विहित प्ररूप में नियोजक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जो इसे स्थापन में मुख्य स्थान पर लगाएगा।

(3) नीचे स्तंभ (1) में उल्लिखित स्थापन के संबंध में विवरण भरने और फीस जमा करने की अवधि, जैसा कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, वह होगी जो स्तंभ (2) के आगे विनिर्दिष्ट की गई है—

स्थापन	अवधि
(1)	(2)
(1) उस तारीख को विद्यमान स्थापन जब यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ है।	उस तारीख से जिसे अधिनियम प्रवृत्त हुआ है 90 दिन
(2) नए स्थापन	उस तारीख से जिससे स्थापन ने अपना कार्य प्रारंभ किया है, 90 दिन।

(4) निरीक्षक, नियोजक द्वारा किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, उसके लिए विहित फीस के साथ, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण उसकी समाप्ति की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए कर सकेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा जिससे कि वह निरीक्षक के पास इसकी समाप्ति की तारीख से पूर्व तीस दिन के अपश्चात पहुंच जाए :

परंतु कोई आवेदन जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए उसकी समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के अपश्चात प्राप्त हुआ है, निरीक्षक द्वारा आवेदक से ऐसी शास्ति के संदाय किये जाने पर जो विहित की जाए, जो पच्चीस रुपए से अधिक नहीं होगी, ग्रहण किया जा सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदक जबतक उसके आवेदन पर आदेशों की संसूचना नहीं मिल जाती, इस प्रकार कार्य करने के लिए हकदार होगा मानो कि रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र का नवीकरण कर दिया गया हो।

(7) नियोजक और निरीक्षक की राय में स्थापन के प्रवर्ग की बाबत किसी संदेह या भिन्नता की दशा में के प्रवर्ग की बाबत, निरीक्षक मामले को विहित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जो ऐसी जांच के पश्चात जो वह उचित समझे ऐसे स्थापन के प्रवर्ग को विनिश्चित करेगा और उसका विनिश्चय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अंतिम होगा।

IndiaCode

अध्याय 2

दुकान

4. दुकानों के खुलने और बंद होने के घंटे—(1) कोई दुकान किसी दिन ऐसे समय के पूर्व न तो खुलेगी और न उसके अपश्चात बंद होगी जो सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा, पूर्व अधिसूचना के पश्चात नियत किया जाए :

परंतु किसी ग्राहक को जिसके लिए दुकान के बंद होने के नियत समय पर किसी दुकान में सेवा की जा रही थी या वह सेवा किए जाने के लिए प्रतिक्षारत था, ऐसे समय के तुरंत पश्चात एक घंटे के चौथाई की अवधि के दौरान सेवा की जा सकेगी।

(2) सरकार इस धारा के प्रयोजन के लिए अलग-अलग वर्गों की दुकानों के लिए या अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय नियत कर सकेगी या वर्ष के लिए अलग-अलग समय नियत कर सकेगी।

5. दुकानों में कार्य के दैनिक और साप्ताहिक घंटे और उसके सामिप्य में विक्रय का प्रतिषेध—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किसी दुकान में किसी कर्मचारी से किसी दिन में आठ घंटे से अधिक और किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक काम करना अपेक्षित नहीं होगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) किसी कर्मचारी से उपधारा (1) के अधीन नियत समय से अधिक किसी अवधि के लिए किसी दुकान में अतिकाल मजदूरी के संदाय पर कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा, तथापि यह इस बात के अध्यधीन होगा कि किसी सप्ताह में ऐसे आधिक्य की अधिकतम अवधि छह घंटे होगी।

(3) स्टाक मिलान और लेखा की तैयारी के प्रयोजन के लिए कोई नियोजक, निरीक्षक को पूर्व सूचना के साथ दुकान में एक वर्ष में पंद्रह दिन से अनधिक, जो उपधारा (1) में नियत अवधि के आधिक्य में है, या अतिकाल मजदूरी के संदाय पर जिससे कि आधिक्य वाली अवधि कुल मिलाकर चौबीस घंटे से अधिक न हो, कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति, किसी गली या सार्वजनिक स्थान में या उससे लगे हुए स्थान में दुकानों के लिए धारा 4 के अधीन नियत खुलने वाले समय से पूर्व और बंद होने वाले समय के पश्चात ऐसे किसी माल का विक्रय नहीं करेगा जिनमें व्यवहार उस परिक्षेत्र में किया जाता है जहां ऐसी गली या सार्वजनिक स्थान अवस्थित है :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित के विक्रय को लागू नहीं होगी—

(i) समाचार पत्र,

(ii) फूल,

(iii) पान,

(iv) सब्जियां और फल, और

(v) ऐसा अन्य माल जिसे सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

6. विश्राम के लिए अन्तराल—किसी दुकान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन पांच घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे विश्राम के लिए कम से कम एक घंटे का अन्तराल नहीं दे दिया गया है :

परंतु किसी भी कर्मचारी से जो अन्तराल के प्रारम्भ पर किसी ग्राहक को सेवा कर रहा था, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पश्चात एक चौथाई घंटे तक उसकी सेवा की अपेक्षा की जा सकेगी।

7. कार्य की अवधि का विस्तृति—दुकान में किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि उसके विश्राम के लिए अन्तरालों के साथ यह एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तृत नहीं हो :

परंतु जहां कोई कर्मचारी किसी दिन स्टाक मिलान और लेखा तैयार करने के प्रयोजनों के लिए कार्य करता है वहां ऐसी विस्तृति अतिकाल मजदूरी के संदाय पर ऐसे किसी दिन चौदह घंटे से अधिक नहीं होगी।

8. दुकान का बंद किया जाना और अवकाश की मंजूरी—(1) प्रत्येक दुकान सप्ताह में एक दिन बंद रहेगी। नियोजक वर्ष के प्रारम्भ पर ऐसा दिन नियुक्त करेगा, इसे निरीक्षक को अधिसूचित करेगा और इस सूचना को दुकान में सहज दृश्य स्थान पर प्रमुख रूप से लगाएगा।

परंतु नियोजक बिना किसी युक्तियुक्त कारण के तीन मास में एक बार से अधिक ऐसे दिन में परिवर्तन नहीं करेगा, निरीक्षक को यह परिवर्तन अधिसूचित करेगा, और दुकान में लगाई गई सूचना में आवश्यक परिवर्तन भी करेगा।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, दुकानों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के संबंध में यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे उपधारा (1) के अधीन विहित साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त, प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अपराह्न में ऐसे समय, जो सरकार द्वारा नियत किया जाए, बंद हो जाएगी।

(3) सरकार, उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, दुकानों के अलग-अलग वर्गों के लिए या अलग-अलग क्षेत्रों के लिए या वर्ष के अलग-अलग समयों के लिए अलग-अलग घंटे नियत कर सकेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपेक्षा के अनुसरण में वह साप्ताहिक दिन जब दुकान बंद रहती है निरीक्षक को अधिसूचित किया जाएगा और इसे दुकान में सहज दृश्य स्थान पर प्रमुख रूप से सूचना के रूप में लगाया जाएगा और नियोजक द्वारा इसे तीन महीने में एक बार से अधिक परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(5) नियोजक के लिए किसी कर्मचारी को साप्ताहिक बंद दिवस को या उस दिन के किसी भाग के लिए जब बंद रहती है, उस दुकान पर जहां वह नियोजित है या किसी अन्य ऐसे स्थान पर अन्य कार्य के लिए जो उसकी दुकान के कारबार के संबंध में है बुलाना या कर्मचारी के लिए वहां जाना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(6) साप्ताहिक अवकाश या उस दिन के किसी भाग के लिए जब बंद रहता है, के कारण किसी दुकान में किसी कर्मचारी की मजदूरी से कोई कटौती नही की जाएगी; और यदि ऐसा कर्मचारी इस आधार पर नियोजित है कि वह साधारणतया ऐसे दिन के लिए या ऐसे दिन के भाग के लिए मजदूरी नहीं लेगा तो इसके होने पर भी उसे ऐसे दिन के लिए या ऐसे दिन के किसी भाग के लिए उतनी मजदूरी का संदाय किया जाएगा जितनी वह उस दशा में प्राप्त करता यदि दुकान बंद नहीं हुई होती या उस दिन या उस दिन के किसी भाग का अवकाश मंजूर नहीं किया गया होता।

अध्याय 3

दुकानों से भिन्न स्थापन

9. दुकानों से भिन्न स्थापनों को इस अध्याय का लागू होना—इस अध्याय के उपबंध केवल दुकानों से भिन्न स्थापनों को लागू होंगे।

10. खुलने और बंद होने के घंटे—(1) कोई स्थापन किसी दिन ऐसे समय से पूर्व या उसके पश्चात्, जो सरकार, राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे न तो खोला जाएगा और न ही बंद किया जाएगा :

परंतु जलपानगृह या भोजनालय के मामले मे कोई ग्राहक जिसको ऐसे बंद होने के लिए नियत समय पर सेवा की जा रही थी या सेवा किये जाने के लिए प्रतिक्षारत था, ऐसे समय के ठीक पश्चात् एक चौथाई घंटे की अवधि तक सेवारत रह सकेगा।

(2) सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थापनों के अलग-अलग वर्गों के लिए या अलग-अलग क्षेत्रों के लिए या वर्ष में अलग-अलग समयों के लिए अलग-अलग घंटे नियत कर सकेगी।

(10क) "गाड़ा" से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जो पहियों पर बनाया गया हो चाहे यह गतिमान हो या स्थिर और इसका निर्माण लकड़ी या धातु या दोनों की चादरों का उपयोग करके किया गया हो और इसका स्वत्व स्वामी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किसी आश्रित द्वारा प्रबंध किया जा रहा हो और उसमें रखे गये माल का मूल्य व्यापार के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट दिन को पांच हजार रुपए से अधिक नहीं हो।

स्पष्टीकरण:—माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निरीक्षक उसका अवधारण करने के लिए सक्षम होगा और इस प्रयोजन के लिए वह किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन, यदि कोई है, को विचार में ले सकेगा।

11. स्थापन में काम के दैनिक और साप्ताहिक घंटे—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किसी स्थापन में किसी कर्मचारी से किसी एक दिन में आठ घंटे से अधिक और एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाऐगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) किसी कर्मचारी से उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा के आधिक्य में किसी अवधि के लिए किसी स्थापन में कार्य करने के लिए अतिकाल की मजदूरी के संदाय पर इस प्रकार अपेक्षा की जा सकेगी या उसे अनुज्ञात किया जा सकेगा कि ऐसे आधिक्य की अधिकतम अवधि एक सप्ताह में छह घंटे होगी।

(3) स्टाक मिलान और लेखा बनाने के प्रयोजन के लिए कोई नियोजक निरीक्षक को पूर्व सूचना देकर किसी कर्मचारी को किसी स्थापन में उपधारा (1) में नियत अवधि के आधिक्य में एक वर्ष में पंद्रह दिन से अनधिक अतिकाल के मजदूरी के संदाय पर कार्य करने की अपेक्षा या अनुज्ञात इस प्रकार कर सकेगा कि ऐसी अधिक अवधि का कुल योग चौबीस घंटों से अधिक नहीं होगा।

12. विश्राम का अंतराल—किसी स्थापन का कोई कर्मचारी ऐसे स्थापन में कार्य करने के लिए किसी दिन में पांच घंटे से अधिक अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसे कम-से-कम एक घंटा विश्राम करने का अन्तराल न दे दिया गया हो।

13. काम की अवधि की विस्तृति—किसी स्थापन में किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि उसके विश्राम के अन्तराल के साथ यह किसी एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तृत नहीं होगी :

परन्तु जहां कोई कर्मचारी स्टाक मिलान और लेखा बनाने के प्रयोजनों के लिए किसी दिन कार्य करता है वहां ऐसी विस्तृति अतिकाल मजदूरी के संदाय पर किसी ऐसे दिन चौदह घंटे से अधिक नहीं होगी।

14. अवकाश .—(1) किसी स्थापन में कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का आवकाश अनुज्ञात किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत प्राधिकृत छुट्टी पर बिताए गये दिन भी हैं, छह दिन से कम है।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा स्थापनों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के संबंध में यह अपेक्षा कर सकेगी कि उसमें के प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह में आधे दिन की अतिरिक्त छुट्टी, जो अपराह्न में ऐसे समय प्रारम्भ होगी जो सरकार नियत करे, अनुज्ञात की जाएगी।

(3) सरकार, उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, स्थापनों के अलग-अलग वर्गों के लिए या अलग-अलग क्षेत्रों के लिए या वर्ष में अलग-अलग समयों के लिए अलग-अलग घंटे नियत कर सकेगी।

(4) किसी स्थापन में किसी कर्मचारी की मजदूरी से किसी दिन या किसी दिन के भाग के लिए जिसे इस धारा के अनुसार अवकाश अनुज्ञात किया गया है, कटौती नहीं की जाएगी; और यदि ऐसे कर्मचारी इस आधार पर नियोजित हैं कि वह साधारणतया ऐसे दिन या दिन के किसी भाग के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा तो इसके होने पर भी उसे ऐसे दिन या ऐसे दिन या ऐसे दिन के भाग के लिए उतनी ही मजदूरी का संदाय किया जाएगा जितनी वह प्राप्त करता यदि उस दिन या उस दिन के भाग को अवकाश अनुज्ञात नहीं किया गया होता।

(5) नियोजक के लिए किसी कर्मचारी को किसी ऐसे दिन या उस दिन के किसी भाग को जिसे इस धारा के अनुसार अवकाश अनुज्ञात किया गया है अपने स्थापन पर बुलाया या कर्मचारी के लिए वहां जाना विधिपूर्ण नहीं होगा।

अध्याय 4

बालक, युवा व्यक्ति और स्त्रियों का नियोजन

15. स्थापन में बालकों द्वारा कार्य नहीं किया जाना.—कोई बालक किसी स्थापन में कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

16. युवा व्यक्ति का केवल 6 बजे पूर्वाह्न और 7 बजे अपराह्न के बीच कार्य करना.—कोई युवा व्यक्ति किसी स्थापना में 6 बजे पूर्वाह्न से पूर्व और 7 बजे अपराह्न के पश्चात् कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

17. तरुण व्यक्तियों के लिए काम के दैनिक और साप्ताहिक घण्टे.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं भी तरुण व्यक्तियों से किसी स्थापन में किसी दिन सात घण्टे से अधिक तथा किसी सप्ताह में बयालीस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उन्हें अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और न ऐसे व्यक्ति को अतिकाल में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

18. प्रसूति प्रसुविधा.—ड्यूटी से अनुपस्थिति की कालावधियों को जिनकी बाबत स्त्री कर्मचारी धारा 19 के अधीन प्रसूति की हकदार है, ड्यूटी से प्राधिकृत अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा और स्त्री कर्मचारी प्रसूति छुट्टी की हकदार होगी किन्तु उन कालावधियों में से किसी के लिए किसी मजदूरी की हकदार नहीं होगी।

19. प्रसूती छुट्टी—प्रत्येक ऐसी स्त्री जो उसके प्रसव की तारीख से पूर्व छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए उसी नियोजक के निरंतर नियोजन में रही है, चाहे उसी दुकान या वाणिज्यिक स्थापन में या विभिन्न दुकानों अथवा वाणिज्यिक स्थापनों में रही हो अपने नियोजक से,—

(क) प्रसव के दिन से तत्काल पूर्व छह सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी; और

(ख) प्रसव के दिन के पश्चात् छह सप्ताह की अवधि के लिए छुट्टी;

प्राप्त करने की हकदार होगी।

अध्याय-5

स्वास्थ्य और सुरक्षा

20. सफाई.—प्रत्येक स्थापन के परिसर साफ और किसी नाली या शौचालय या अन्य ड्रेनेज से उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध से मुक्त रखे जाएंगे और ऐसे समयों पर और ऐसे तरीकों से साफ किए जाएंगे जो विहित किए जाएं।

21. संवातन और प्रकाश.—प्रत्येक स्थापन के परिसर नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों से संबद्ध संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों में उपबंधित रूप से संवातित रखे जाएंगे।

(2)(क) प्रत्येक स्थापन के परिसरों में से सभी काम के घण्टों के दौरान पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी स्थापन के परिसरों में पर्याप्त रूप से प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है तो वह नियोजक पर लिखित में एक आदेश की तामील करेगा जिसमें ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो, उसकी राय में अपनाए जाने चाहिए और उनसे विनिर्दिष्ट तारीख से पहले लागू करने की अपेक्षा की जाएगी।

22. स्थापनों में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूर्वावधानियां .—(1) ऐसे स्थापनों या स्थापनों के ऐसे वर्ग से भिन्न जिन्हें केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक स्थापन में अग्नि के विरुद्ध सभी ऐसी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी जो विहित की जाएं।

(2) यदि ऐसे स्थापन या स्थापनों के ऐसे वर्ग से भिन्न, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, किसी स्थापन में शक्ति चालित मशीनरी का उपयोग किया जाता है या ऐसी कोई संक्रिया की जाती है जिससे, सरकार की राय में, किसी कर्मचारी के लिए शारीरिक क्षति की गंभीर जोखिम होने की संभावना है, तो उस स्थापन में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नियोजन द्वारा, प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रखने सहित ऐसी पूर्वावधानियां बरती जाएंगी जो विहित की जाएं।

अध्याय 6

मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश

23. छुट्टी.—(1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने किसी स्थापन में बारह मास की निरंतर अवधि के दौरान दो सौ चालीस दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए सेवा की है, पश्चात्वर्ती बारह मास की अवधि के दौरान पन्द्रह दिन की अवधि के लिए मजदूरी सहित छुट्टी लेने का हकदार होगा:

परन्तु मजदूरी सहित ऐसी छुट्टी पैंतालीस दिन की अधिकतम अवधि तक संचित की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि उस तारीख से पूर्व जिसको यह अधिनियम किसी स्थापन को लागू होता है, उस स्थापन में किसी निरंतर सेवाकाल को बारह मास की अधिकतम अवधि के अधीन रहते हुए हिसाब में लिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि उस तारीख से पूर्व जिसको यह अधिनियम किसी स्थापन को लागू होता है, उस स्थापन को लागू होने वाली विधि के अधीन उस स्थापन में किसी कर्मचारी द्वारा संचित किसी छुट्टी पर प्रभाव पड़ेगा।

(2) कोई कर्मचारी नियोजक को अपनी छुट्टी पर जाने की तारीख से सात पूर्ण कार्य दिवसों से अन्यून दिन पूर्व उन सभी छुट्टियों या उनके किसी भाग को अनुज्ञात करने के लिए जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, आवेदन कर सकेगा :

परन्तु छुट्टी लेने के लिए किस्तों की संख्या बारह मास की अवधि के दौरान तीन से अधिक नहीं होगी।

(3) ऐसे किसी कर्मचारी को जिसे उपधारा (2) के अधीन पांच दिन से अन्यून के लिए छुट्टी अनुज्ञात की गई है, उसकी छुट्टी आरंभ होने से पूर्व, यदि वह ऐसा अनुरोध करता है तो अनुज्ञात छुट्टी की अवधि के लिए शोध्य मजदूरी का संदाय किया जाएगा।

(4) किसी स्थापन में प्रत्येक कर्मचारी अपनी पहले बारह मास की निरंतर सेवा के दौरान और ऐसी सेवा के पश्चात्वर्ती प्रत्येक बारह मास के दौरान—

(क) उपगत किसी बीमारी या उसके साथ हुई किसी दुर्घटना के आधार पर नौ दिन से अनधिक की अवधि के लिए मजदूरी सहित छुट्टी ; और

(ख) किसी युक्तियुक्त आधार पर छह दिन से अनधिक की अवधि के लिए मजदूरी सहित आकस्मिक छुट्टी का भी हकदार होगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी छुट्टी के हकदार किसी कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा उसे ऐसी छुट्टी अनुज्ञात किए जाने से पूर्व सेवामुक्त किया जाता है या यदि ऐसे कर्मचारी द्वारा आवेदित छुट्टी प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है और यदि वह उसे छुट्टी अनुज्ञात किए जाने से पूर्व अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोजक छुट्टी की अवधि की बाबत इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम का उसे संदाय करेगा।

(6) यदि किसी कर्मचारी को किसी नियोजक द्वारा उस समय विधिसम्मत रूप से सेवामुक्त किया जाता है जब वह बीमार है या किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित है तो नियोजक, उपधारा (3) के अधीन उसे संदेय किसी रकम, यदि कोई है, के अतिरिक्त छुट्टी की उस अवधि की बाबत जिसके लिए वह अपनी सेवामुक्ति के समय हकदार था, इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम का उसे संदाय करेगा।

(7) किसी विद्यालय या महाविद्यालय से संलग्न किसी छात्रावास में या शिष्यों और निवासी मास्टरों के बोर्डिंग और आवास के संबंध में चलाए जा रहे किसी स्थापन में किसी कर्मचारी को उपधारा (1) से उपधारा (6) में निर्दिष्ट विशेषाधिकार अनुज्ञात किए जाएंगेतथापि वे यथास्थिति उस अवधि के जिसके लिए पूर्व वर्ष में वह निरंतर नियोजित रखा गया था अथवा उस अवधि के जिसके लिए वह चालू वर्ष में नियोजित रखा जाएगा, अनुपात में कम किए जा सकेंगे; और उपधारा (1) और उपधारा (4) में छुट्टी की अवधि के प्रति सभी निर्देशों का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा और आधे दिन से कम भाग को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

24. अन्य अवकाश - (1) किसी स्थापन में प्रत्येक कर्मचारी, पूर्व नियतन के पश्चात् और प्रत्येक स्थापन द्वारा वर्ष के पहले महीने में विहित रीति से की गई घोषणा के पश्चात् उपलब्ध होने वाले दो अवकाशों के अतिरिक्त एक साल में मजदूरी सहित सात अवकाश का हकदार भी होगा जिनके अन्तर्गत 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती) और 19 दिसम्बर (गोवा मुक्ति दिवस) भी हैं :

परन्तु नियोजक किसी कर्मचारी से स्थापन में इन सभी दिनों या किसी दिन कार्य करने की इस शर्त के अधीन रहते हुए अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे कार्य के लिए कर्मचारी को दैनिक मजदूरी की रकम से दुगनी रकम का संदाय किया जाएगा और उस अवकाश के बदले में किसी अन्य दिन की छुट्टी भी मंजूर की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे स्थापन के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें नियोजक द्वारा अनुज्ञात मजदूरी सहित अवकाशों की संख्या उस उपधारा के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों से अधिक है :

परन्तु ऐसा प्रत्येक नियोजक उसके द्वारा अनुज्ञात मजदूरी सहित अवकाशों की एक सूची जिनके अन्तर्गत उपधारा (1) में निर्दिष्ट पांच अवकाश, भी होंगे, निरीक्षक को भेजेगा और स्थापन के मुख्य स्थान पर सूची भी प्रदर्शित करेगा ।

25. छुट्टी और अवकाशों के दौरान वेतन - प्रत्येक कर्मचारी को धारा 23 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात छुट्टी की अवधि के लिए उन दिनों के लिए जिनको पूर्ववर्ती मास के दौरान उसने वास्तव में काम किया है, अतिकाल के संबंध में किसी उपार्जन को छोड़कर दैनिक मजदूरी के बराबर की दर पर संदाय किया जाएगा ।

26. धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी की अवधि को बढ़ाने की शक्ति - धारा 23 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा उस छुट्टी के दिनों की कुल संख्या में जो उस धारा की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की जा सकेगी और उन दिनों की अधिकतम संख्या में जिन तक किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग की बाबत ऐसी छुट्टी संचित की जा सकेगी, वृद्धि कर सकेगी ।

अध्याय 7

मजदूरी

27. मजदूरी के संदाय की जिम्मेवारी - प्रत्येक नियोजक अपने कर्मचारियों को सभी मजदूरियों और इस अधिनियम के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित रकमों के संदाय के लिए जिम्मेदार होगा ।

28. मजदूरी-कालावधि का नियतन - (1) प्रत्येक नियोजक ऐसी कालावधि का नियतन करेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् मजदूरी-कालावधि कहा गया है) जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेय होगी ।

(2) कोई भी मजदूरी-कालावधि एक मास से अधिक नहीं होगी ।

29. अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी - जहां किसी स्थापन में किसी कर्मचारी से अतिकाल में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है वहां वह, ऐसे अतिकाल कार्य की बाबत, मजदूरी की मामूली दर से दुगनी दर पर मजदूरी का हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी स्थापन में सामान्य काम के घण्टे सामान्यतया एक दिन में आठ घण्टे और एक सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से कम है वहां वह दिन में आठ घण्टे तक और सप्ताह में अड़तालीस घण्टे तक ऐसे सामान्य घण्टे से अधिक किए गए कार्य की बाबत मजदूरी की मामूली दर पर और दिन में आठ घण्टे और सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक काम के लिए कार्य के सामान्य घण्टों के लिए मजदूरी के अतिरिक्त मजदूरी की मामूली दर से दुगनी दर पर मजदूरी का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "मजदूरी की मामूली दर" पद से मजदूरी की ऐसी दर अभिप्रेत है जो विहित रीति से संगणित की जाए ।

30. मजदूरी के संदाय का समय - (1) प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी का उस मजदूरी-कालावधि के जिसकी बाबत मजदूरी संदेय है, अंतिम दिन के पश्चात् सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाएगा ।

(2) जहां किसी कर्मचारी की सेवा नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त कर दी जाती है वहां ऐसे कर्मचारी द्वारा उपार्जित मजदूरी का उस दिन से जिसको उसका नियोजन समाप्त किया जाता है, दूसरे कार्यदिवस की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाएगा ।

(3) मजदूरी के सभी संदाय कार्यदिवस को ही किए जाएंगे ।

31. मजदूरी का संदाय चालू सिक्कों या करेंसी नोटों में किया जाएगा - सभी मजदूरियों का संदाय चालू सिक्कों या करेंसी नोटों में या दोनों में किया जाएगा ।

32. वे कटौतियां जो मजदूरी में से की जा सकेंगी - (1) कर्मचारी की मजदूरी का संदाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कटौतियों के सिवाय, किसी प्रकार की कटौतियां किए बिना किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - किसी कर्मचारी द्वारा नियोजक को किया गया प्रत्येक संदाय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, मजदूरी से कटौती माना जाएगा ।

(2) कर्मचारी की मजदूरी में से कटौतियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही की जाएंगी और वे केवल निम्नलिखित प्रकार की ही हो सकेंगी, अर्थात् :-

(क) विधिपूर्वक अधिरोपित जुर्मानें और अन्य शास्तियां ;

(ख) ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां ;

(ग) कर्मचारी को अभिरक्षा के लिए अभिव्यक्त रूप से सौंपे गए माल की नुक्सानी या उसकी हानि के लिए या ऐसे धन की हानि के लिए जिसके लिए हिसाब देने की उससे अपेक्षा है, जहां ऐसी नुक्सानी या हानि उसकी उपेक्षा या त्रुटि के कारण हुई मानी जा सकती है, कटौतियां ;

(घ) नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह-आवास के लिए क़टौती ;

(ङ) नियोजक द्वारा प्रदाय की गई ऐसी सुविधाओं और सेवाओं के लिए कटौती जो सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकृत की जाएं ;

(च) अग्रिमों की वसूली के लिए या मजदूरी के अतिसंदाय के समायोजन के लिए कटौतियां ;

(छ) कर्मचारी द्वारा संदेय आयकर या वृत्तिकर की कटौतियां ;

(ज) न्यायालय के आदेश द्वारा या ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित कटौतियां ;

(झ) ऐसी किसी भविष्य निधि में जिसको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 19) लागू होता है या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 2 (38) में परिभाषित किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अथवा सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन के जारी रहने के दौरान इस निमित्त अनुमोदित किसी भविष्य निधि में अंशदानों और उससे लिए गए अग्रिमों के प्रतिसंदाय के लिए कटौतियां ;

(ञ) सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित सहकारी सोसाइटियों को या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को या भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जा रही बीमा स्कीम को अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को संदायों के लिए कटौतियां ;

(ट) कर्मचारी के लिखित प्राधिकार से की गई कटौतियां ।

33. जुर्माना - (1) किसी भी कर्मचारी पर कोई जुर्माना, उसकी ओर से ऐसे कार्यों और लोपों की बाबत के सिवाय, सरकार के या विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा जो उपधारा (2) के अधीन सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों ।

(2) ऐसे कार्यों और लोपों को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना विहित रीति से उस परिसर में प्रदर्शित की जाएगी जिसमें नियोजन चलाया जा रहा है।

(3) किसी कर्मचारी पर कोई जुर्माना तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे जुर्माने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो अथवा उक्त जुर्माना ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ही अधिरोपित किया जाएगा जो जुर्माना अधिरोपित करने के लिए विहित की जाए।

(4) जुर्माने की कुल रकम, जो किसी एक मजदूरी-कालावधि की बाबत अधिरोपित की जा सकेगी, मजदूरी के एक रूपए में तीन पैसे के बराबर रकम से अधिक नहीं होगी ।

(5) किसी ऐसे कर्मचारी पर जिसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(6) किसी कर्मचारी पर अधिरोपित कोई जुर्माना उस दिन से जिसको वह अधिरोपित किया गया है, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् उससे वसूल नहीं किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक जुर्माना उस कार्य या लोप के दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा जिसकी बाबत वह अधिरोपित किया गया था ।

(8) सभी जुर्मानों और उनकी सभी वसूली को नियोजक द्वारा ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, रखे गए रजिस्टर में लेखबद्ध किया जाएगा ; और ऐसी सभी वसूलियों को ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जो स्थापन में कर्मचारियों के हित में हो और विहित प्राधिकारी द्वारा जिनका अनुमोदन कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण - जब कर्मचारी उसी प्रबंध के अधीन नियोजित कर्मचारिवृंद के केवल एक भाग रूप हैं तब ऐसी सभी वसूलियां पूरे कर्मचारिवृंद के लिए रखी गईं सामान्य निधि में जमा की जाएंगी परन्तु निधि केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी जिनका विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ।

34. ड्यूटी से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां - (1) धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कटौतियां उस स्थान या स्थानों से किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण ही की जा सकेंगी जहां, उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार, उससे काम करना अपेक्षित है, और ऐसी अनुपस्थिति उस संपूर्ण कालावधि या उसके किसी भाग के लिए है जिसके दौरान उससे काम करना अपेक्षित है ।

(2) ऐसी कटौतियों की रकम का उस मजदूरी-कालावधि की बाबत कर्मचारी को संदेय मजदूरी से जिसके लिए कटौती की गई है, अनुपात, किसी भी दशा में उस अवधि के जिसके लिए वह अनुपस्थित था, ऐसी मजदूरी-कालावधि में उस कुल अवधि के अनुपात से अधिक नहीं होगा जिसके दौरान, उसके नियोजन के निबंधनों के अनुसार, उससे कार्य करना अपेक्षित था :

परन्तु, सरकार द्वारा उस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, यदि उस समुत्थान में कार्य करने वाले दस या उससे अधिक कर्मचारी सम्यक सूचना के बिना, अर्थात् ऐसी सूचना दिए बिना जो नियोजन की उनकी संविदा के निबंधनों के अधीन अपेक्षित है और बिना युक्तियुक्त कारण के स्वयं अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे किसी कर्मचारी से ऐसी कटौती के अंतर्गत ऐसी रकम भी हो सकेगी जो चार दिनों की उसकी मजदूरी से अधिक नहीं होगी और जो ऐसे निबंधनों के अनुसार सम्यक सूचना के स्थान पर नियोजक को शोध्य होगी ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी को उस स्थान से अनुपस्थित समझा जाएगा जहां उससे कार्य करना अपेक्षित है, यदि भले ही वह ऐसे स्थान पर उपस्थित हो, हड़ताल पर रहने के कारण या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने से इंकार कर देता है जो परिस्थितियों के अनुसार युक्तियुक्त नहीं हो ।

35. नुकसान या हानि के लिए कटौतियां - (1) धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन कटौती माल के नुकसान की बाबत ऐसे नुकसान की रकम और माल या धन की हानि की बाबत ऐसी हानि की रकम जो कर्मचारी की उपेक्षा या उसके व्यतिक्रम के कारण नियोजक को हुई है, के आधे से अधिक नहीं होगी और कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कर्मचारी को उस कटौती के विरूद्ध कारण दर्शित करने के लिए अवसर नहीं दे दिया गया हो या वह ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी जो ऐसी कटौती करने के लिए विहित की जाए ।

(2) ऐसी सभी कटौतियों और उनकी सभी वसूलियों को नियोजक द्वारा ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, रखे गए रजिस्टर में लेखबद्ध किया जाएगा ।

36. की गई सेवाओं के लिए कटौतियां - धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (घ) या खंड (ड.) के अधीन कटौती किसी कर्मचारी की मजदूरी से तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस कर्मचारी द्वारा नियोजन के निबंधन के अनुसार गृह-आवास, सुविधा या सेवा स्वीकार नहीं की गई है और ऐसी कटौती उसको प्रदान किए गए गृह-आवास, सुविधा, उस सेवा के मूल्य के बराबर रकम से अधिक नहीं होगी और खंड (ड.) के अधीन कटौती की दशा में ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जो सरकार अधिरोपित करे ।

37. अग्रिमों की वसूली के लिए कटौतियां - धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन कटौतियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगी, अर्थात् :-

(क) नियोजन आरंभ होने से पूर्व दिए गए धन के अग्रिम की वसूली पूरी मजदूरी-कालावधि की बाबत मजदूरी के पहले संदाय से की जाएगी किन्तु यात्रा व्ययों के लिए दिए गए ऐसे अग्रिमों की कोई वसूली नहीं की जाएगी;

(ख) ऐसी मजदूरी के अग्रिमों की वसूली जो उसने पहले ही उपार्जित नहीं की है, सरकार द्वारा उस सीमा को जिस तक ऐसे अग्रिम दिए जा सकेंगे और ऐसी किस्तों को जिनमें वे उससे वसूल किए जा सकेंगे विनियमित करने के लिए बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन होंगी ।

38. सहकारी समितियों और बीमा स्कीमों आदि के संदाय के लिए कटौतियां - धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और खंड (ट) के अधीन कटौतियां ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगी जो सरकार अधिरोपित करे ।

39. किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए शर्तें और उपदान का संदाय - (1) कोई भी नियोजक युक्तियुक्त कारण के बिना और कदाचार के सिवाय, किसी ऐसे कर्मचारी की सेवा ऐसे कर्मचारी को लिखित रूप में कम से कम एक मास की सूचना दिए बिना अथवा उसके बदले में एक मास की मजदूरी दिए बिना समाप्त नहीं करेगा जो छह मास से अन्यून अवधि के लिए उसके निरंतर नियोजन में रहा है और निरंतर नियोजन के प्रत्येक वर्ष के लिए पन्द्रह दिन की औसत मजदूरी के बराबर उपदान का संदाय करेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए :

(क) "मजदूरी" पद के अंतर्गत अतिकाल मजदूरी नहीं है;

(ख) "मजदूरी" पद से उन दिनों के लिए दैनिक औसत मजदूरी अभिप्रेत है जिनके लिए उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से ठीक पूर्व तीस दिन के दौरान उसने वास्तव में कार्य किया है;

(ग) किसी स्थापन में किसी कर्मचारी के बारे में छह मास से अन्यून की कालावधि के लिए निरंतर नियोजन में रहना माना जाएगा यदि उसने उस स्थापन में उस कर्मचारी की सेवा की समाप्ति की तारीख से ठीक पूर्व छह मास की अवधि के भीतर कम से कम एक सौ बीस दिन कार्य किया है;

(घ) जहां कुल निरंतर नियोजन एक वर्ष के किसी भाग के लिए है या निरंतर नियोजन पूरे एक या अधिक वर्षों के अतिरिक्त किसी भाग से अधिक है तो, यदि वह भाग

छह मास से कम नहीं है तो ऐसे भाग को कुल वर्षों की संख्या की गणना करने में जिनके लिए उपदान दिया जाना है, निरंतर नियोजन के एक वर्ष के रूप में गणना में लिया जाएगा ।

(2) जहां किसी कर्मचारी को उपदान उपधारा (1) के अधीन संदेय है वहां वह अपनी सेवा की समाप्ति की तारीख से उस तारीख तक की मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा जिसको ऐसे संदेय उपदान का वास्तव में संदाय किया गया है और वह दो मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा ।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है या वह शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है तथा जिसे चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा ऐसा घोषित किया गया है अथवा जो चिकित्सीय आधारों पर सेवानिवृत्त होना चाहता है या अपनी सेवा से त्यागपत्र देता है, अपने नियोजक को कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् अपना नियोजन त्याग सकेगा और ऐसा प्रत्येक कर्मचारी और ऐसे किसी नियोजक का आश्रित जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है, उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में उपबंधित रीति में संगणित अपने निरंतर नियोजन के प्रत्येक वर्ष के लिए पन्द्रह दिन की औसत मजदूरी के बराबर उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा । वह नियोजन त्यागने की तारीख से उस तारीख तक की मजदूरी प्राप्त करने का भी हकदार जिसको उसे इस प्रकार संदेय उपदान का वास्तव में संदाय किया जाता है और वह उपदान दो मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगा ।

(4) किसी कर्मचारी की सेवा कदाचार के लिए ऐसे कृत्यों या लोपों और उस रीति में जो विहित की जाए के सिवाय समाप्त नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" पद के अन्तर्गत अंशकालिक कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे ।

40. सेवा के समापन से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति - (1) (क) सरकार, अधिसूचना द्वारा धारा 39 के अधीन कर्मचारी की सेवा के समापन से उत्पन्न हुई अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी ।

(ख) ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए अपील कर सकेगा ।

(2) प्राधिकारी, विहित रीति में जांच करने के पश्चात् अपील को खारिज कर सकेगा या उस अवधि के लिए जिसमें उसे नियोजन से बाहर रखा गया था मजदूरी सहित या मजदूरी के बिना पुनःस्थापित किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा या बिना पुनःस्थापन के प्रतिकर के संदाय के लिए निदेश दे सकेगा या मामले की परिस्थितियों में अन्य अनुतोष जो वह ठीक समझे मंजूर कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध, विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय में द्वितीय अपील की जाएगी और श्रम न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम और नियोजक तथा कर्मचारी दोनों पर आबद्धकारी होगा और उस अवधि के भीतर जैसी कि न्यायालय के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए इसे प्रभावी बनाया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन संदाय किए जाने के लिए निदेशित किसी रकम की वसूली की जा सकेगी -

(क) यदि प्राधिकारी कोई मजिस्ट्रेट है, प्राधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है; और

(ख) यदि प्राधिकारी कोई मजिस्ट्रेट नहीं है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे प्राधिकारी इस निमित्त आवेदन करता है, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है ।

41. स्थापन के अंतरण की दशा में कर्मचारी को सूचना और उपदान का संदाय;- जहां किसी स्थापन का स्वामित्व या प्रबंध चाहे करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा उस स्थापन के संबंध में नियोजक से किसी नए नियोजक को अंतरित किया जाता है वहां प्रत्येक कर्मचारी जो ऐसे अंतरण के ठीक पूर्व उस स्थापन में छह मास से अन्यून की अवधि के लिए निरंतर नियोजन में रहा है, वह धारा 39 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूचना और उपदान का हकदार होगा :

परंतु यह कि इस धारा की कोई बात किसी कर्मचारी को किसी भी दशा में तब लागू नहीं होगी जब किसी नियोजक का परिवर्तन अंतरण के कारण है यदि -

(क) कर्मचारी का नियोजन ऐसे अंतरण द्वारा अवरूद्ध नहीं हुआ है;

(ख) ऐसे अंतरण के पश्चात् कर्मचारी को लागू नियोजन के निबंधन और शर्तें किसी भी रीति में उससे कम अनुकूल नहीं है जो उसे ऐसे अंतरण से ठीक पूर्व लागू थीं;

(ग) नया नियोजक ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन या अन्यथा कर्मचारी को उसके सेवा के समापन की दशा में, उस आधार पर कि उसका नियोजन निरंतर रहा है और अंतरण द्वारा अवरूद्ध नहीं हुआ है उपदान के संदाय के लिए विधिक रूप से दायी होगा ।

अध्याय 8

स्थापन में कर्मचारियों के मजदूरी आदि से संबंधित दावों की सुनवाई करने और उनका विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य आदि ।

42. कर्मचारी आदि की कटौतियों से उत्पन्न होने वाले दावों की सुनवाई करने और विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति - सरकार, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, न्यायिक आयुक्त, के परामर्श से अधिसूचना द्वारा, किसी सिविल न्यायाधीश को (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायिक प्राधिकारी कहा गया है) मजदूरी से कटौती किए जाने से या मजदूरी के संदाय में बिलम्ब या उस क्षेत्र में किसी स्थापन के कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान से उत्पन्न होने वाले दावों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए नियुक्ति कर सकेगी ।

43. मजदूरी से कटौती किए जाने से उत्पन्न होनेवाले दावे या मजदूरी आदि के संदाय में विलम्ब, और विद्वेषपूर्ण शास्ति या तंग करने वाले दावे - (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध, किसी स्थापन में किसी कर्मचारी की मजदूरी से कोई कटौती की गई है या उसको मजदूरी या उपदान के संदाय में कोई विलम्ब किया गया है, ऐसा कर्मचारी स्वयं या उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका कोई आश्रित या किसी रजिष्टीकृत व्यापार संघ जहां कोई

विधिक व्यवसायी या कोई पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन ऐसे कर्मचारी या आश्रित की ओर से लिखित में प्राधिकृत किया गया है या कोई निरीक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से कार्य कर रहा है उपधारा (2) के अधीन न्यायिक प्राधिकारी को किसी निदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा प्रत्येक आवेदन उस तारीख से जिसको मजदूरी से कटौती की गई थी या उस तारीख से जिसको यथास्थिति मजदूरी या उपदान का संदाय किए जाने के लिए देय था एक वर्ष के भीतर, प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई आवेदन उक्त अवधि के एक वर्ष पश्चात् स्वीकार किया जा सकेगा जब आवेदक न्यायिक प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं किए जाने का उसके पर्याप्त कारण था ।

(2) जब किसी आवेदन को उपधारा (1) के अधीन ग्रहण किया जाता है, न्यायिक प्राधिकारी आवेदक और नियोजक को सुनेगा या उन्हें व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अभ्यावेदन देने का कोई अवसर प्रदान करेगा, और ऐसी जांच के पश्चात् यदि कोई हो और जो आवश्यक हो किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव बिना जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजक के लिए दायी है, कर्मचारी को कटौती की रकम या विलम्बित मजदूरी के संदाय या उपदान ऐसे प्रतिकर के संदाय सहित जिसे प्राधिकारी ठीक समझे जो कटौती रकम के दस गुणे से अधिक न हो या विलम्बित मजदूरी की रकम और उपदान की दशा में पच्चीस रूपए से अधिक न हो, के प्रतिदाय का निदेश देगा :

परंतु यह कि उपदान की विलम्बित मजदूरी की दशा में प्रतिकर के संदाय के लिए कोई निदेश नहीं दिया जाएगा यदि उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब :-

(क) कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में कोई वास्तविक भूल या कोई वास्तविक विवाद, या

(ख) आपवादिक परिस्थितियां की विद्यमानता, जैसे नियोजक की शीघ्र संदाय करने में असमर्थता, यद्यपि उसने युक्तियुक्त तत्परता अपनाई है, या

(ग) संदाय को स्वीकार करने में कर्मचारी की असफलता,

के कारण था ।

(3) यदि इस धारा के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई कर रहे उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यह या तो विद्वेषपूर्ण था या तंग करने वाला था, तो प्राधिकारी, आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा नियोजक को पांच रूपए से अनधिक की किसी शास्ति का संदाय करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन संदाय किए जाने के लिए निदेशित किसी रकम की वसूली की जा सकेगी -

(क) यदि प्राधिकारी कोई मजिस्ट्रेट हो, प्राधिकारी द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के रूप में कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है ; और

(ख) यदि प्राधिकारी कोई मजिस्ट्रेट नहीं है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे कोई प्राधिकारी इस निमित्त कोई आवेदन करता है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है है ।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजन के लिए "कर्मचारी" पद के अन्तर्गत अंशकालिक कर्मचारी भी सम्मिलित होगा ।

44. असंदत्त समूह से दावों की बाबत एकल आवेदन - (1) उन कर्मचारियों को उसी असंदत्त समूह का कहा जाता है यदि वे उसी स्थापन के हैं और यदि उनकी मजदूरी या उपदान उसी अवधि या अवधियों के लिए उस दिन के पश्चात् जिसको वे देय थीं असंदत्त रही है ।

(2) उसी असंदत्त समूह के किसी संख्या में कर्मचारियों की ओर से या उनकी बाबत धारा 43 के अधीन कोई एकल आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे मामले में अधिकतम प्रतिकर जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दिया जा सकेगा पच्चीस रूपए प्रतिव्यक्ति होगा ।

(3) न्यायिक प्राधिकारी उसी असंदत्त समूह के व्यक्तियों की बाबत धारा 43 के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी संख्या में पृथक लंबित आवेदनों पर विचार कर सकेगा मानो यह इस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किया गया एकल आवेदन था, और उस उपधारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

45. अपील - धारा 43 के उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन को पूर्णतः या भागतः खारिज करने वाले किसी आदेश के विरूद्ध या उस धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश के विरूद्ध कोई अपील जिला न्यायालय को उस तारीख से जिसको आदेश या निदेश यथास्थिति आवेदक या कर्मचारी को तामील किए गए थे के तीस दिन के भीतर -

(क) नियोजक द्वारा, यदि मजदूरी, उपदान या प्रतिकर के रूप में संदाय की जाने वाली कुल रकम तीन सौ रूपए से अधिक है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसने धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया है यदि दावाकृत मजदूरी या उपदान की कुल रकम कर्मचारी या उस असंदत्त समूह से जिसकी वह, रोकी गई है, पचास रूपए से अधिक हो, या

(ग) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन किसी शास्ति का संदाय करने के लिए निदेशित किसी व्यक्ति द्वारा,

की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन को पूर्णतः या भागतः खारिज करने वाला या उस धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिया गया कोई निदेश अंतिम होगा ।

46. नियोजक की सम्पत्ति की सशर्त कुर्की - (1) धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के किए जाने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकारी का, या जहां धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपील के फाइल किए जाने के पश्चात् किसी

भी समय न्यायालय का, जो उस धारा में निर्दिष्ट है, यह समाधान हो जाता है कि नियोजक धारा 43 या धारा 45 के अधीन संदाय के लिए निदेशित की जाने वाली किसी रकम के संदाय से बचना चाहता है, यथास्थिति, प्राधिकारी या न्यायालय उन मामलों के सिवाय जहां प्राधिकारी या न्यायालय की यह राय है कि विलम्ब से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति नही होगी, नियोजक को अभ्यावेदन का कोई अवसर दिए जाने के पश्चात् नियोजक की उतनी सम्पत्ति की कुर्की का निदेश दे सकेंगे जितनी प्राधिकारी या न्यायालय की राय में, उस रकम के लिए पर्याप्त होगी जो निदेश के अधीन संदेय हो ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 5) के उपबंध जो उस संहिता के अधीन निर्णय के पूर्व कुर्की से संबंधित है, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के लिए किसी निदेश को यथासम्भव लागू होंगे ।

47. धारा 42 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियां - धारा 42 के अधीन नियुक्त प्रत्येक प्राधिकारी को साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी और प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 5) के अध्याय 35 और धारा 95 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझे जाएंगे ।

48. इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए खर्चे और न्यायालय फीस विहित करने की सरकार की शक्ति - सरकार इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही की बाबत, खर्चों के मापमान जिसे अनुज्ञात किया जा सकेगा और न्यायालय फीस की रकम विहित कर सकेगा जो संदेय होगी ।

अध्याय 9

निरीक्षकों की नियुक्ति, शक्ति और कर्तव्य

49. निरीक्षकों की नियुक्ति - सरकार, अधिसूचना द्वारा, उतनी संख्या में निरीक्षक जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं नियुक्त कर सकेगी और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं नियत कर सकेगी ।

50. निरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य - कोई निरीक्षक, उस स्थानीय सीमा के भीतर जिसके लिए वह नियत किया गया है, -

(क) किसी ऐसे स्थान में जो किसी स्थापन के रूप में है या जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है, उसका स्थापन के रूप में उपयोग किया जाता है, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में के उतने व्यक्तियों की सहायता से जिसे वह ठीक समझे सभी युक्तियुक्त समयों में प्रवेश कर सकेगा;

(ख) परिसरों और किसी रजिस्टर या अन्य अभिलेखों का ऐसा निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की जिसे वह आवश्यक समझे, विहित रीति में स्थल पर या अन्यथा साक्ष्य ले सकेगा ;

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम को लागू करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

51.निरीक्षक का लोक सेवक होना - धारा 49 के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थ में कोई लोक सेवक समझा जाएगा ।

अध्याय 10

अपराधों के लिए शास्तियां

52. शास्तियां - कोई नियोजक जो धारा 4, धारा 5 से धारा 8, धारा 10 से धारा 25, धारा 27 से धारा 39, धारा 41 और धारा 57 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस रूपए तक का हो सकेगा, किसी द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो पचास रूपए से कम नही होगा और जो सौ रूपए तक का हो सकेगा और किसी तृतीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए भी जुर्माने से जो सौ रूपए से कम नही होगा और जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु यह कि जहां कोई नियोजक, धारा 3 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण का कोई विधिमान्य प्रमाणपत्र रखने में असफल रहता है तो वह सिद्ध दोष पाए जाने पर, किसी निरंतर अपराध की दशा में और जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए उस अवधि के दौरान जिसमें अपराध जारी रहता है दस रूपए प्रतिदिन तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

53. निरीक्षक आदि को बाधा पहुंचाने के लिए शास्ति - ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वेच्छया किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए ऐसे निरीक्षक को विधिपूर्वक सहायता कर रहा है, बाधा पहुंचाता है या जो निरीक्षक द्वारा दिए गए किसी विधिपूर्ण निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने से जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

54. अपराध के विचारण में प्रक्रिया - (1) कोई न्यायालय किसी नियोजक के विरूद्ध धारा 43 के अधीन किसी कर्मचारी को मजदूरी से कटौती या मजदूरी के संदाय में या इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के संदाय में विलम्ब से सम्बन्धित किसी परिवाद का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि धारा 43 के अधीन, अपराध को अपराध गठित करने वाले तथ्यों की बाबत कोई आवेदन नहीं किया जाता है और पूर्णतः या भागतः मंजूरी नहीं दे दी गई है और पश्चातवर्ती धारा के अधीन सशक्त प्राधिकारी ने या अपील न्यायालय ने जो ऐसे आवेदन को मंजूरी देता है, परिवाद करने को मंजूरी नहीं दे दी है ।

(2) किसी नियोजक के विरूद्ध ऐसे किसी अपराध के लिए किसी परिवाद किए जाने को मंजूरी दिए जाने से पूर्व यथास्थिति, धारा 42 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी या अपील न्यायालय, ऐसे नियोजक को ऐसी मंजूरी प्रदान करने के विरूद्ध कारण बताए जाने का अवसर देगा और मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी यदि ऐसा नियोजक प्राधिकारी या न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसका व्यतिक्रम निम्न कारण से था, -

(क) कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में कोई वास्तविक त्रुटि थी या वास्तविक विवाद था, या

(ख) आपवादिक परिस्थितियों की विद्यमानता ऐसी थी कि नियोजक असमर्थ था, यद्यपि त्वरित संदाय करने के लिए तत्परता बरती गई थी, या

(ग) संदाय को स्वीकार करने में कर्मचारी की असफलता थी ।

(3) कोई न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 43 केअधीन किसी अपराध के लिए उस अपराध से भिन्न जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है या धारा 59 के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी परिवाद का संज्ञान नहीं करेगा सिवाय उस परिवाद के जो इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से छह मास के भीतर जिसका अपराध या उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है जो किसी निरीक्षक द्वारा या उसकी पूर्व मंजूरी से लिखित में किया गया है ।

(4) न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी समय कोई जुर्माना अधिरोपित करते समय धारा 43 के अधीन किसी कार्यवाही में अपराधी के विरूद्ध पहले से ही प्रतिकर के लिए अधिनिर्णीत रकम पर विचार करेगा ।

55. वाद पर रोक - कोई न्यायालय, मजदूरी या उपदान या उसमें से किसी कटौती की वसूली के लिए किसी वाद को ग्रहण नहीं करेगा जहां तक उसका संबंध दावा की गई किसी ऐसी रकम से है -

(क) जो धारा 43 के अधीन किसी आवेदन का विषय बनाती है, जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जो धारा 42 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष या धारा 45 के अधीन किसी अपील में लंबित है, या

(ख) जो धारा 43 के अधीन वादी के पक्ष में कोई विषय या निदेश बनाती है, या

(ग) जिसे धारा 43 केअधीन किसी कार्यवाही में न्याय निर्णीत किया जा चुका है और वादी को देय नहीं है, या

(घ) जिसे धारा 43 के अधीन किसी आवेदन द्वारा वसूल किया जा सकता था ।

56. संविदा द्वारा त्याग - ऐसी कोई संविदा या करार चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् की गई है, जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का त्याग किया गया है जहां तक उसका संबंध उसके ऐसे अधिकार को समाप्त करने से है, शून्य और अकृत्य होगा ।

अध्याय 11
प्रकीर्ण

57. दोहरे नियोजन पर निर्बंधन, रजिस्टरों, अभिलेखों आदि का रखरखाव (1) कोई कर्मचारी किसी स्थापन में किसी दिन या किसी दिन के भाग को जिस दिन कर्मचारी को अवकाश दिया गया है या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह छुट्टी पर है, कार्य नहीं करेगा और ना ही कोई नियोजक जानबूझकर किसी कर्मचारी को किसी स्थापन में कार्य करने की अनुज्ञा देगा ।

(2) सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए, कोई नियोजक ऐसे रजिस्टर या अभिलेख रखेगा और ऐसी सूचनाएं सम्प्रदर्शित करेगा जो विहित की जाएं । सभी ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखे जाएंगे और ऐसी सभी सूचनाएं उस स्थापन के परिसर में जिससे उनका संबंध है सम्प्रदर्शित की जाएंगी ।

(3) प्रत्येक नियोजक किसी निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर सभी रजिस्टरों, अभिलेखों और सूचनाओं को जिनकी इस अधिनियम द्वारा रखे जाने की अपेक्षा है निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा ।

(4) प्रत्येक नियोजक अपने कारबार से संबंधित ऐसी विवरणियां ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को जो विहित किए जाएं प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक नियोजक अपने कर्मचारी को ऐसे कर्मचारी के स्थापन में सेवा में आने से पूर्व नियुक्ति का आदेश देगा :

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय सेवारत किसी कर्मचारी की दशा में, नियोजक ऐसे प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर कर्मचारी को ऐसी नियुक्ति का आदेश देगा ।

58. शक्तियों का प्रत्यायोजन - (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को जो उसके अधीनस्थ हैं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उनमें निहित शक्तियों में से किसी एक या अधिक का, धारा 59 में वर्णित शक्तियों के सिवाय ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, केन्द्रीय सरकार के या ऐसे व्यक्ति के जिसे उनके द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाए, नियंत्रण और पुनरीक्षण के अधीन होगा । सरकार को ऐसे सशक्त किए गए किसी व्यक्ति के कृत्यों या कार्यवाहियों का नियंत्रण और पुनरीक्षण करने की शक्ति भी होगी ।

59. नियम बनाने की शक्ति :- (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियम बनाते समय सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन उतने जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास रूपए तक का हो सकेगा ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र गोवा, दमण और दीव विधानसभा के समक्ष यदि वह सत्र में हो, और यदि वह सत्र में न हो तो तुरन्त पश्चात् वाले सत्र में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें ऐसे नियम रखा गया हैं या ठीक पश्चातवर्ती सत्र में उस नियम में

कोई परिवर्तन करने के लिए विधानसभा सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधानसभा सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

60. अन्य विधियों आदि के अधीन अधिकार और विशेषाधिकार का प्रभावित न होना - इस अधिनियम की कोई बात, ऐसे किन्हीं अधिकारों, विशेषाधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके लिए कोई कर्मचारी किसी स्थापन में उस तारीख को, जिसको यह अधिनियम ऐसे स्थापन की बाबत प्रवर्तन में आया हो, ऐसे स्थापन को लागू किसी अन्य विधि, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अधीन हकदार है, यदि ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार उनसे अधिक अनुकूल हों जिनके लिए वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा ।

61. छूट - (1) इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी -

(क) किसी स्थापन में ऐसा कर्मचारी जिसकी मासिक औसत मजदूरी दो हजार पांच सौ रूपए से अधिक है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, छावनी प्राधिकरणों, भारतीय रिजर्व बैंक, संविधान का अनुच्छेद 366 के खंड (20) में यथा परिभाषित किसी रेल अधिसूचना को उपांतरित या रद्द कर सकेगी ।

62. कतिपय प्रश्नों का विनिश्चय करने केलिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति - (1) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध किसी स्थापन को या उसमें के किसी कर्मचारी को लागू होते हैं या किसी मामले में धारा 61 को लागू होती है या नहीं तो इसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(2) ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा ।

63. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का लागू होना - कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 8) के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम जहां तक हो सके उस प्रत्येक कर्मचारी को लागू होंगे, जिसको यह अधिनियम लागू होता है ।

64. इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों को संरक्षण - इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

65. मेलो और उत्सवों के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों को निलम्बित करने की सरकार की शक्ति - किसी मेले या उत्सव के किसी विशेष अवसर पर या किसी मेले या उत्सव के

संबंध में उस क्रम में या किसी सार्वजनिक अवकाश के क्रम में, सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधो के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलम्बित कर सकेगी ।

66. इस अधिनियम के द्वारा शासित स्थापनाओं को साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942 का लागू न होना - इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने की तारीख से ही किसी स्थापन की बाबत, साप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम, 1942 (1942 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 18) ऐसे स्थापन को लागू नहीं रहेगा ।

67. निरसन और व्यावृति - उस तारीख से ही जिसको यह अधिनियम प्रवर्तन में लाया जाता है, राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त विधायी डिप्लोमा संख्यांक 1441 तारीख 28 अगस्त, 1952 और विधायी डिप्लोमा संख्यांक 1503 तारीख 3 सितम्बर, 1953 निरसित हो जाएंगे :

परन्तु यह -

(क) इस प्रकार निरसित विधायी डिप्लोमा के उपबंधों के अधीन की कई प्रत्येक नियुक्ति, दिए गए आदेश, बनाए गए नियम, जारी किए गए अधिसूचना या नोटिस जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं से है वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, जारी किए गए या दिए गए समझे जाएंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति, दिए गए आदेश, बनाए गए नियम, जारी किए गए अधिसूचना या सूचना द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिए जाते हैं; और

(ख) इस प्रकार निरसित विधायी डिप्लोमाओं के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध को प्रचालित करने वाले किसी रेल प्रशासन के अधीन स्थापन ;

(ग) खानों और तेल क्षेत्र के स्थापन ;

(घ) बाजार के या ऐसे स्थान के जहां एक मास से अनधिक की अवधि के लिए एक समय पर मेले या उत्सव अस्थायी रूप से आयोजित किए जाते हैं स्थापन ;

(ङ) किसी राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित या सहकारी बैंक के स्थापन ;

(च) धारा 2 के खंड (10) (क) के अधीन यथापरिभाषित 'गाड़ा' के रूप में ज्ञात स्थापन ।

(2) यथास्थिति धारा 4 या धारा 10 की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :-

(क) बीमार, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार के लिए चिकित्सालय और अन्य संस्थाएं ;

(ख) ऐसे रसायनज्ञ और औषधि विक्रेता की दुकानें जिन्हें सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ग) हेयर ड्रेसिंग सोप, क्लब और आवासीय होटल, शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल या महाविद्यालयों से संलग्न होस्टल और शिष्यों और निवासी मास्टरों के निवास और भोजन से सम्बन्धित स्थापन ;

(घ) रेल स्टेशन, डाक, बंदरगाह, पत्तन, विमान-पत्तन या बस स्टैण्ड पर स्टाल और स्वल्पाहार कक्ष ;

(ङ) बर्फ या वातित जल के विक्रय में पूर्णतः या मुख्यतः लगे स्थापन ;

(च) ऐसे स्थापन जो पूर्णतः या मुख्यतः अंत्येष्टि संस्कार सम्बन्धी सामग्री के विक्रय में लगे हैं ।

(3) धारा 4, धारा 5, धारा 8 या धारा 10 की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी-

(क) ऐसे व्यक्ति जिसका कार्य आंतरायिक प्रकृति का है अर्थात् केयर टेकर, सफाई वाला, यात्रा से सम्बन्धित कर्मचारी वृन्द ;

(ख) ऐसे व्यक्ति जो किसी गोदाम में माल की चढ़ाई - उतराई से सम्बन्धित हैं ।

(4) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग को या व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो ठीक समझी जाए, छूट दे सकेगी ।

(5) सरकार अधिसूचना द्वारा, पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबधों को, व्यक्तियों या स्थापनों के किसी वर्ग को उनसे भिन्न जो उपधारा (1) के खंड (ख) में वर्णित है, लागू कर सकेगी और ऐसी किसी के विचारण से संबंधित कार्यवाही ऐसे चालू रहेगी और पूरी की जाएंगी मानो उक्त विधायी डिप्लोमाओं को निरसित नहीं किया गया है बल्कि वे प्रवर्तन में हो, और ऐसी कार्यवाहियों में अधिरोपित कोई शास्ति इस प्रकार निरसित विधायी डिप्लोमा के अधीन वसूल की जाएगी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1999

G. S. R. 104 (E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Shops and Establishments Act, 1973 (Act No. 13 of 1974), as in force in the State of Goa on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act (except in enacting formula and in sub-section (1) of section 1, unless otherwise directed for the words "Goa, Daman and Diu", whrerever they occur, the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

2. In section 24, in sub-section (1), for the figures, letters and word "19th December", the figure, letters and word "2nd August" shall be substituted.

3 In section 42, the words " in consultation with the Judicial Commissioner", shall be omitted, and for the words "Civil Judge (hereinafter to be refered to as the judicial authority)", the words "officer not below the rank of Deputy Collector of Dadra and Nagar Haveli Administration (hereinafter referred to as the competent authority)" shall be substituted.

4. In section 43, for the words "judicial authority", wherever they occur, the words "competent authority" shall be substituted.

5. In section 59, in sub-section (4), for the words "the Legislative Asembly of Goa, Daman and Diu if", "fourteen days" and "the Assembly agrees", the words "each house of Parliament while", "thiry days " and "both Houses agree" shall respectively be substituted.

6. Section 67 shall be omitted.

[F. No. U-11015/6/95-UTL (193)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

The Goa, Daman and Diu Shops and Establishments Act, 1973

(Act No. 13 of 1974) [7th October, 1974]

AN

ACT

to provide for the regulaion of conditions of work and employment in shops, commercial establishments, restaurants, theatres and other establishments and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Asembly of Goa, Daman and Diu in the Twenty-fourth year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title, extent, commencement and application.—(1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Shops and Establishments Act, 1973.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(3) It shall come into force in such areas and on such dates as the Government may, from time to time, by notification, appoint.

4961/97--4

2 Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires:—

(1) "apprentice" means a person who is employed, whether on payment of wages or not, for the purpose of being trained in any trade, craft or employment in any establishment;

(2) "child" means a person who has not completed his fourteenth year of age;

(3) "closed" means not open, for the service of any customer, or for any trade or business or for any other purpose connected with the establishment except loading, unloading and annual stock-taking;

(4) "commercial establishment" means any establishment which carries on any business, trade or profession or any work in connection with, or incidental or ancillary to, any business, trade or profession and includes—

(a) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act XXI of 1860) or charitable or other trust, whether registered or not, which carries on any business, trade or profession or work in connection with, or incidental or ancillary to such business, trade or profesion ;

(b) an establishment which crries on the business of advertising, commission agency, forwarding or commercial agency or which is a clerical department of a factory or of any industrial or commercial undertaking ;

(c) an insurance company, Joint Stock Company, bank, broker's office or exchange ; and

(d) any other establishment which the Government may notify to be a commercial establishment, but does not include a factory, shop, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment.

(5) "day" means a period of twenty-four hours beginning at mid-night, except that in the case of an employee, whose hours of work extend beyond midnight, day means the period of twenty-four hours beginning from the time when such employment commences ;

(6) "dependent" means in relation to a deceased employee, his nominee or in the absence of such nominee, his heir or legal representative ;

(7) "employee" means a person wholly or principally employed in, and in connection with, any establishment, and includes an apprentice or any clerical or other staff of a factory or industrial establishment which falls outside the scope of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) ; but does not include the husband, wife, son, daughter, father, mother, brother, sister or dependent relative of an employer or his partner, who is living with and depending upon such employer or partner and is not in receipt of any wages ;

(8) "employer" means a person having charge of or owing or having ultimate control over the affairs of an establishment and includes the manager, agent or other person acting in the general management or control of an establishment ;

(9) "establishment" means a shop, commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment to which this Act applies and includes such other establishment as the Government may, by notification in the official Gazette, declare to be an establishment for the pruposes of the Act ;

(10) "factory" means factory within the meaning of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948) ;

(11) "goods " include all materials, commodities and articles ;

(12) "Government" means the Administrator of the Union Teritory of Goa, Daman and Diu appointed under article 239 of the Constitution ;

(13) "gratuity " means the gratuity payable under section 39 ;

(14) "Inspector" means an Inspector appointed under section 49 ;

(15) "notification" means a nootification published in the Goa, Daman and Diu Government Gazette ;

(16) "opened" means opened for the service of any customer or for any trade or business connected with the establishment ;

(17) "periods of work" means the time during which an employee is at the disposal of the employer;

(18) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(19) "residential hotel" means any premises used for the reception of guests and travellers desirous of dwelling or sleeping therein and includes a club ,

(20) "restaurant" or "eating house" means any premises in which is carried on wholly or principally the business of supplying meals of refreshment to the public or a class of the public for consumption on the premises and includes a Halwai shop but does not include a restaurant attached to a theatre or restaurant or a canteen attached to a factory if the persons employed therein are allowed the benefits provided for workers under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948);

(21) "shop" means any premises where goods are sold, either by retail or wholesale or both or where services are rendered to customers and includes an office, store-room, godown, ware-house, sale depot and work-place, whether in the same premises or elsewhere, used mainly in connection with such trade or business, but does not include a factory, commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment or a shop attached to a factory where the persons employed in the shop are allowed the benefits provided for workers under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948),

(22) "spread over" means the period between the commencement and termination of work of an employee on any day,

(23) "theatre" includes any premises intended principally or wholly for the exhibition of pictures are other optical effects by means of cinematograph or other suitable apparatus or for dramatic or circus performances or for any other amusement or entertainment;

(24) "wages" means every remuneration, whether by way of salary, allowances, or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the term of employment, express or implied were fulfilled, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment, and includes—

(a) any remuneration payable under any settlement between the parties or order of a tribunal or court;

(b) any remuneration to which the employee is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period;

(c) any additional remuneration payable under the terms of employment, whether called a bonus or by any other name;

(d) any sum which by reason of the termination of employment of the employee is payable under any law, contract or instrument which provides for the payment of such sums, whether with or without deductions but does not provide for the time within which the payment is to be made;

(e) any sum to which the employee is entitled under any scheme framed under any law for the time being in force,

but does not include—

(i) any bonus, whether under a scheme of profit sharing or otherwise, which does not form part of remuneration payable under the terms of employment, or, which is not payable under any award or settlement between the parties or order of a court;

(ii) the value of any house accommodation, or of the supply of light, water, medical attendance, or other amenity or of any service excluded from the consumption of wages by a general or special order of the Government;

(iii) any contribution paid by the employer to any pension or provident fund, and the interest which may have accrued thereon;

(iv) any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(v) any sum paid to the employee to defray special expenses incurred by him on account of the nature of his employment, or

(vi) any gratuity payable on the termination of employment in cases other than those specified in sub-clause (d);

(25) "week" means a period of seven days beginning at midnight on Saturday;

(26) "young person" means a person who is not a child but has not completed eighteen years of age.

3. Registration of Establishments and renewal of registration certificates.—(1) Within the period of specified in sub-section (3) the employer of every establishment shall send to the Inspector concerned, a statement in the prescribed form together with such fees as may be prescribed, containing—

(a) the name of the employer and the manager, if any;

(b) the postal address of the establishment;

(c) the name, if any, of the establishment,

(d) the category of the establishment; and

(e) such other particulars as may be prescribed.

(2) On receipt of the statement and the fees, the Inspector shall, on being satisfied about the correctness of the statement, register the establishment in the Register of Establishments in such manner as may be prescribed and shall issue in the prescribed form a Registration Certificate to the employer who shall display it at a prominent place in the establishment.

(3) The period in respect of establishment mentioned in column (1) below for filling the statement and depositing the fees as required under sub-section (1), shall be as specified against it in column (2)—

Establishment (1)	Period (2)
(i) Establishment existing on the date on which this Act comes in force.	Ninety days from the date on which the Act comes into force.
(ii) New Establishments.	Ninety days from the date on which the establishment commences its work.

(4) The Inspector may, on receipt of an application made by the employer together with the fees prescribed therefore, renew the registration certificate for a period of one year commencing from the date of its expiry.

(5) Every application for the renewal of the registration certificate shall be made in such form and in such manner as may be prescribed so as to reach the Inspector not later than thirty days before the date of its expiry :

Provided that an application for the renewal of a registration certificate received not later than thirty days after its expiry may be entertained by the Inspector on the application paying such penalty, not exceeding twenty-five rupees, as may be prescribed.

(6) An applicant for the renewal of a registration certificate under sub-section (5), shall, until communication of orders on his application, be entitled to act as if the registration certificate had been renewed.

(7) In the event of any doubt or difference of opinion between an employer and the Inspector as to the category to which an establishment would belong, the Inspector shall refer the matter to the prescribed authority which shall after such inquiry as it thinks proper decide the category of such establishment and its decision shall be final for the purposes of this Act.

CHAPTER II

Shops

4. Opening and closing hours of shops.—(1) No shop shall on any day be opened earlier or closed later than such hours as may, after previous notification be fixed by the Government by a general or special order in that behalf :

Provided that any customer who was being served or was waiting to be served in any shop at the hour fixed for its closing may be served during the quarter of an hour immediately following such hour.

(2) The Government may, for the purpose of this section, fix different hours for different classes of shops or for different areas or for different times of the year.

5. Daily and weekly hours of work in shops and prohibition of sales in its vicinity.—(1) Subject to other provisions of this Act, no employee in any shop shall be required or allowed to work therein for more than eight hours in any day and forty-eight hours in any week.

(2) Any employee may be required or allowed to work in a shop for any period in excess of the limit fixed under sub-section (1), on payment of over-time wages, subject however, that the maximum period of such excess in a week shall be six hours.

(3) For the purpose of stock-taking and preparation of accounts, an employer may, with the previous intimation to the Inspector, required or allow any employee to work in a shop for not more than any fifteen days in a year, in excess of the period fixed in sub-section (1), or payment of over-time wages, so however that the excess period shall not in aggregate, exceed twenty-four hours.

(4) No person shall carry on, in or adjacent to, a street or public place, the sale of any goods before the opening and after the closing hours fixed under section 4 for the shops dealing in any kind of goods in the locality in which such street or public place is situated :

Provided that nothing in this section shall apply to the sale of —

(i) Newspapers,

(ii) Flowers,

(iii) Pan,

(iv) Vegetables and fruits, and

(v) Such other goods as the Government may, from time to time, by notification, specify.

6. Interval for rest.—No employee in any shop shall be required or allowed to work therein for more than five hours in any day unless he has had an interval for rest of at least one hour :

Provided that an employee who was serving a customer at the commencement of the interval may be required to serve him during the quarter of an hour immediately following such commencement.

7. Spread over of periods of work.—The periods of work of an employee in a shop shall be so arranged that along with his intervals for rest, they shall not spread over more than twelve hours in any day :

Provided that where an employee works on any day for the purpose of stock-taking and preparation of accounts, the spread over shall not exceed fourteen hours in any such day, on payment of over-time wages.

8. Closing of shops and grant of holidays.—(1) Every shop shall remain closed on one day of the week. The employer shall fix such day at the beginning of the year, notifying it to the Inspector and specify it on a notice prominently displayed in conspicuous place in the shop :

Provided that the employer shall not without reasonable cause alter such day more often than once in three months, shall notify the alteration to the Inspector, and shall also make the necessary change in the notice displayed in the shop.

(2) The Government may, by notification, require in respect of any specified class of shops that they shall, in addition to the weekly holiday prescribed under sub-section (1) be closed at such hour in the afternoon of one week day in every week as may be fixed by the Government.

(3) The Government may, for the purpose of sub-section (2), fix different hours for different classes of shops or for different areas or for different times of the year.

(4) The weekly day on which a shop is closed in pursuance of the requirement under sub-section (2) shall be notified to the Inspector and specified by the employer in a notice prominently displayed in a conspicuous place in the shop, and shall not be altered by the employer more often than once in three months.

(5) It shall not be lawful for the employer to call an employee at or for the employee to go to the shop in which he is employed or to any other place for any work in connection with the business of his shop on the weekly closed day or part of the day on which it had remained closed.

(6) No deduction shall made from the wages of any employee in a shop on account of the weekly holiday or part of a day on which it has remained closed; and if such employee is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such day or part of a day, he shall none of less be paid for such day or part of a day, the wages he would have drawn had the shop not remained closed or the holiday not been allowed on that day or part of a day.

CHAPTER III

Establishments other than shops

9. Application of this Chapter to establishments other than shops.—The provisions of this Chapter shall apply only to establishments other than shops.

10. Opening and closing hours.—(1) No establishment shall on any day be opened earlier or closed later such hour as the Government may, after previous publication in the Official Gazette, by general or special order specify in that behalf :

Provided that in the case of a restaurant or eating house, any customer who was being served or was waiting to be served therein at the hour fixed for its closing may be served during the quarter of an hour immediatly following such hour.

(2) The Government may, for the purposes of this section fix different hours for different classes of establishments or for different areas or for different times of the year.

(10A) 'Gada' means an establishment mounted on wheels, whether moving or stationary and constructed by using either wood or metal sheets or both and managed by the owner himself or a member of his family or a dependent and the value of the goods stored therein, on any particular day, for the purpose of trading does not exceed Rs. 5,000/-.

Explanation : For the purpose of valuation of the goods, the Inspector shall be competent to make an assessment thereof and for this purpose he may take into consideration the valuation made, if any, by any local authority.

11. Daily and weekly hours of work in establishment.—(1) Subject to other provisions of this Act, no employee any establishment shall be required or allowed to work therein for more than eight hours in any day and forty-eight hours in any week.

(2) Any employee may be required or allowed to work in an establishment for any period in excess of the limit fixed under sub-section (1), on payment of over-time wages, so however that the maximum period of such excess shall be six hours in any week.

(3) For the purposes of stock-taking and preparation of accounts, an employer may, with the previous intimation to the Inspector, require or allow any employee to work in an establishment or not more than any fifteen days in a year, in excess of the period fixed in sub-section (1), on payment of overtime wages, so however that the excess period shall not, in aggregate, exceed twenty-four hours.

12. Interval of rest .—No employee in any establishment shall be required or allowed to work in such establishment for more than five hours in any day unless he has had an interval for rest of at least one hour.

13. Spread over of periods of work .—The periods of work of an employee in an establishment shall be so arranged that, along with his interval for rest, they shall not spread over more than twelve hours in any day:

Provided that where an employee works on any day for the purpose of stock-taking and preparation of accounts, the spread over shall not exceed fourteen hours in any such day on payment of over-time wages.

14. Holidays.—(1) Every employee in an establishment shall be allowed in each week a holiday of one whole day:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to an employee whose total period of employment in the week including the days spent on authorised leave is less than six days

(2) The Government may, by notification, require in respect of any specified class of establishments that every employee therein shall be allowed in each week an additional holiday of one half-day commencing at such hour in the afternoon as may be fixed by the Government.

(3) The Government may, for the purpose of sub-section (2), fix different hours for different classes of establishments or for different areas or for different times of the year

(4) No deduction shall be made from the wages of any employee in an establishment on account of any day or part of a day on which a holiday has been allowed in accordance with this section, and if such employee is employed on the basis that he would not ordinarily receive wages for such day or part of a day, he shall none the less be paid for such day or part of a day the wages he would have drawn, had the holiday not been allowed on that day or part of a day

(5) It shall not be lawful for the employer to call an employee at or for the employee to go to, his establishment on any day or part of a day on which a holiday has been allowed in accordance with this section

CHAPTER IV

Employment of children, young persons and women

15. Children not to work in establishment .—No child shall be required or allowed to work in any establishment

16. Young persons to work only between 6 a.m. and 7 p.m. .—No young person shall be required or allowed to work in any establishment before 6 a m and after 7 p.m.

17. **Daily and weekly hours of work for young persons** .—Notwithstanding anything contained in this Act, no young persons shall be required or allowed to work in any establishment for more than seven hours in any day and forty-two hours in any week nor shall such person be allowed to work overtime.

18. **Maternity benefit** .—The periods of absence from duty in respect of which a woman employee is entitled to maternity leave under Section 19, shall be treated as authorised absence from duty, and the woman employee shall be entitled to maternity leave, but not to any wages for any of those periods.

19. **Maternity leave** .—Every woman who has been for a period of not less than six months preceding the date of her delivery, in continuous employment of the same employer whether in the same or different shops or commercial establishments, shall be entitled to receive from her employer for the period of—

(a) six weeks leave immediately preceding the day of delivery; and

(b) six weeks leave following the day of delivery.

CHAPTER V

Health and Safety

20. **Cleanliness** :—The premises of every establishment shall be kept clean and free from effluvia arising from any drain or privy or other nuisance and shall be cleaned at such times and by such methods as may be prescribed.

21. **Ventilation and Lighting** :—(1) The premises of every establishment shall be ventilated as provided for in the laws relating to the Municipalities, Gram Panchayats or other local authorities in force in the Union territory.

(2) (a) The premises of every establishment shall be sufficiently lighted during all working hours.

(b) If it appears to an Inspector that the premises of any establishment within his jurisdication are not sufficiently lighted, he may serve on the employer an order in writing specifying the measures which in his opinion should be adopted and requiring them to be carried out before a specified date.

22. **Precautions for the safety of employees in establishments** :—(1) In every establishment, other than such establishment or class of establishments as the Government may, by notification, specify, all precautions against fire shall be taken as may be prescribed

(2) If power-driven machinery is used, or any process, which, in the opinion of the Government, is likely to expose any employee to a serious risk of bodily injury is carried on, in any establishment other than such establishment or class of establishments as the Government may, by notification, specify such precautions, including the keeping of first aid box, shall be taken by the employer for the safety of the employees therein, as may be prescribed.

CHAPTER VI

Leave and Holidays with Wages

23. **Leave** :—(1) Every employee who has served for a period of two hundred and forty days or more during a continuous period of twelve months in any establishment shall be entitled during the subsequent period of twelve months, to leave with wages for a period of fifteen days:

Provided that such leave with wages may be accumulated upto a maximum period of forty-five days.

Provided further that any continuous period of service in an establishment preceding the date on which this Act applies to that establishment shall also count, subject to a maximum period of twelve months:

Provided also that any leave accumulated by an employee in an establishment under the law applicable to that establishment preceding the date on which this Act applies to it, shall not be affected.

(2) An employee may apply in writing to the employer, not less than seven full working days before the date of availing himself of his leave, to allow all the leave or any portion thereof, to which he is entitled under sub-section (1):

Provided that the number of instalments for taking leave shall not exceed three during a period of twelve months.

(3) An employee who has been allowed leave for not less than five days under sub-section (2) shall, before his leave begins be paid the wages due for the period of the leave allowed if he makes a request therefor.

(4) Every employee in any establishment shall also be entitled during his first twelve months of continuous service and during every subsequent twelve months of such service

(a) to leave with wages for a period not exceeding nine days, on the ground of any sickness incurred or accident sustained by him; and

(b) to casual leave with wages for a period not exceeding six days on any reasonable ground.

(5) If an employee entitled to any leave under sub-section (1), is discharged by his employer before he has been allowed such leave, or if the leave applied for by such employee has been refused and if he quits his employment before he has been allowed the leave, the employer shall pay him the amount payable under this Act in respect of the period of leave.

(6) If an employee is lawfully discharged by his employer when he is sick or suffering from the result of an accident, the employer shall pay him the amount payable under this Act in respect of the period of leave to which he was entitled at the time of his discharge in addition to the amount, if any, payable to him under sub-section (3).

(7) An employee in a hostel attached to a school or college or in an establishment maintained in connection with the boarding and lodging of pupils and resident masters, shall be allowed the privileges referred to in sub-section (1) to (6), reduced however proportionately to the period for which he was employed continuously in the previous year or to the period for which he will be employed continuously in the current year, as the case be; and all references to the period of leave in sub-sections (1) and (4) shall be construed accordingly, fractions of less than half a day being disregarded.

24. Other holidays.—(1) Every employee in any estalishment shall also be entitled to seven holidays in a year with wages which shall include the 26th January (Republic Day), the 2nd October (Gandhi Jayanti) and the 19th December (Goa Liberation Day), in addition to two holidays to be availed of after prior fixation and declaration made in the prescribed manner by each estalishment in the first month of the year :

Provided that the employer may require any employee to work in the establishment on all or any of these days subject to the condition that for such work the employee shall be paid double the amount of the daily wages and also be granted leave on any other day in lieu of the holiday.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply in respect of any establishment where the number of holidays with wages allowed by the employer is more than the holidays notified by the Government under that sub-section:

Provided that every such employer shall send a list of holidays with wages allowed by him, which shall include the five holidays specified in sub-section (1), to the Inspector and shall also display the list at a prominent place of the establishment.

25. **Pay during leave and holidays.**—Every employee shall, for the period of the leave allowed under sub-sections (1) and (4) of section 23 be paid at a rate equivalent to the daily wages for the days on which actually worked during the preceding month exclusive of any earnings in respect of over time.

26. **Power to increase the period of leave allowable under section 23.**—Notwithstanding anything contained in section 23, the Government may, by notification, increase the total number of days of leave that may be allowed under sub-section (1) of that section and the maximum number of days upto which such leave may be accumulated in respect of any establishment or class of establishments.

CHAPTER VII

Wages

27 **Responsibility for payment of wages.**—Every employer shall be responsible for payment to his employees of all wages and sums required to be paid under this Act.

28. **Fixation of wage-period.**—(1) Every employer shall fix period (hereinafter referred to as wages-periods) in respect of which such wages shall be payable.

(2) No wage-period shall exceed one month.

29 **Wages for overtime work.**—Where any employee in any establishment is required to work overtime he shall be entitled, in respect of such overtime work, to wages at twice the ordinary rate of wages:

Provided that where the normal hours of work in an establishment are ordinarily less than eight hours a day and forty-eight hours a week he shall be entitled in respect of work in excess of such normal hours upto eight hours a day, and forty-eight hours a week to wages at the ordinary rate of wages and in respect of work in excess of eight hours a day and forty-eight hours a week at twice the ordinary rate of wages, in addition to the wages for the normal hours of work.

Explanation.—For the purpose of this section, the expression ordinary rate of wages shall mean such rate of wages as may be calculated in the manner prescribed.

30. **Time for payment of wages.**—(1) The wages of every employee shall be paid before the expiry of the seventh day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.

(2) Where the service of any employee is terminated by or on behalf of the employer, the wages earned by such employee shall be paid before the expiration of the second working day from the day on which his employment is terminated.

(3) All payments of wages shall be made on a working day.

31. **Wages to be paid in current coin or currency notes.**—All wages shall be paid in current coin or currency notes or in both.

32. **Deductions which may be made from wages.**—(1) The wages of an employee shall be paid to him without deductions of any kind except those authorised by or under this Act.

Explanation.—Every payment made by an employee to the employer shall, for the purpose of this Act, be deemed to be a deduction from wages.

(2) Deductions from the wages of an employee shall be made only in accordance with the provisions of this Act, and may be of the following kinds only, namely:—

(a) fines and other penalties lawfully imposed;

(b) deductions for absence from duty;

(c) deductions for damages to, or loss of, goods expressly entrusted to the employee for custody, or for loss of money for which he is required to account, where such damage or loss is directly attributable to his neglect or default;

(d) deduction for house accommodation provided by the employer;

(e) deduction for such amenities and services supplied by the employer as the Government may, by general or special order, authorise;

(f) deductions for recovery of advances or for adjustment of overpayments of wages;

(g) deductions of income-tax or profession tax payable by the employee;

(h) deductions required to be made by order of a court or other authority competent to make such order;

(i) deduction for subscriptions to, and for repayment of advances from, any provident fund to which the Employees Provident Funds Act, 1952 (Central Act 19 of 1952) applies or any recognised provident fund as defined in section 2 (38) of the Income Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961), or any provident fund approved in this behalf by the Government during the continuance of such approval;

(j) deductions for payments to cooperative societies approved in this behalf by the Government or any officer authorised by them in this behalf or to a scheme of Insurance maintained by the Indian Post Office or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (Central Act 31 of 1956);

(k) deductions made with written authorisation of the employee.

33 Fines.—(1) No fine shall be imposed on any employee save in respect of such acts and omissions on his part as the employer, without the previous approval of the Government or of the prescribed authority, may have specified by notice under sub-section (2)

(2) A notice specifying such acts and omissions shall be exhibited in the prescribed manner in the premises in which the employment is carried on

(3) No fine shall be imposed on any employee until he has been given an opportunity of showing cause against the fine, or otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed for the imposition of fines.

(4) The total amount of fine which may be imposed in any one wage-period on any employee shall not exceed an amount equal to three paise in the rupee of the wages payable to him in respect of that wage-period

(5) No fine shall be imposed on any employee who has not completed the age of fifteen years.

(6) No fine imposed on any employee shall be recovered from him after the expiration of sixty days from the day on which it was imposed.

(7) Every fine shall be deemed to have been imposed on the day of the act or omission in respect of which it was imposed.

(8) All fines and all realisations thereof shall be recorded in a register to be kept by the employer in such form as may be prescribed; and all such realisations shall be applied only to such purposes beneficial to the employees in the establishment as are approved by the prescribed authority.

Explanation.— When the employees are only part of a staff employed under the same management, all such realisations may be credited to a common fund maintained for the staff as a whole, provided that the fund shall be applied only to such purposes as are approved by the prescribed authority

34. **Deductions for absence from duty.**— (1) Deductions may be made under clause (b) of sub-section (2) of section 32 only on account of the absence of an employee from the place or places where, by the terms of his employment, he is required to work, such absence being for the whole or any part of the period during which he is so required to work.

(2) The amount of usch deductions shall in no case bear to the wages payable to the employee in respect of the wage-period for which the deduction is made, a larger proportion than the period for which he was absent bears to the total period, within such wage-period during which by the terms of his employment, he was required to work :—

Provided that, subject to any rules made in this behalf by the Government, if, ten or more employees acting in concern absent them-selves without due notice that is to say, without giving the notice which is required under the terms of their contract of employment and without reasonable cause such deduction from any such employee may include such amount not exceeding his wages for four days as may by any such terms be due to the employer in lieu of due notice.

Explanation :— For the purpose of this section, an employee shall be deemed to be absent form the place where he is reuqired to work, if, although present in such place he refuses, in pursuance of a stay in strike or for any other cause which is not reasonable in the circumstances, to carry out his work

35. Deductions for damage or loss :—(1) A deduction under clause (c) of sub-section (2) of section 32 shall not exceed in respect of the damage of goods, one half of the amount of such damage, and in respect of the loss of goods or money, the amount of such loss caused to the employer by negligence or default of the employee and shall not be made until the employee has been given an opportunity of showing cause against the deduction, or otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed for the making of such deduction.

(2) All such deductions and all realisations thereof shall be recorded in a register to be kept by the employer in such form as may be prescribed.

36. Deductions for services rendered :—A deduction under clause(d) or clause (e) of sub-section (2) of section 32 shall not be made from the wages of an employee unless the house accommodation, amenity or service has been accepted by him as a term of employment or otherwise, and such deduction shall not exceed an amount equivalent to the value of the house accommodation, amenity or service supplied and in the case of a deduction under the said clause (e) it shall be subject to such conditions, as the Government may impose.

37. Deductions for recovery of advances :—Deduction under clause (f) of sub-section (2) of section 32 shall be subject to the following conditions, namely :—

(a) recovery of an advance of money given before employment began shall be made from the first payment of wages in respect of a complete wage-period, but no recovery shall be made of such advances given for travelling expenses,

(b) recovery of advances of wages not already earned shall be subject to any rules made by the Government regulating the extent to which such advances may be given and the instalments by which they may be recovered.

38. Deductions for payment to co-operative societies and insurance schemes etc :—Deductions under clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 32 shall be subject to such conditions as the Government may impose.

39. Conditions for terminating the service of an employee and payment of gratuity :—(1) No employer shall without a reasonable cause and except for misconduct, terminate the service of an employee who has been in his employment continuously for a period of not less than six months without giving such employee, at least one month's notice in writing or wages in lieu there of and a gratuity amounting to fifteen days' average wages for each year of continuous employment

Explanation :— For the purpose of this sub-section :

(a) the expression "wages" does not include over time wages,

(b) the expression "wages" means the daily average of wages for the days and employee actually worked during the thirty days immdiately preceding the date of termination of service;

(c) an employee in an establishment shall be deemed to have been in continuous employment for a period of not less than six months. If he has worked for not less than one hundred and twenty days in that establishment within a period of six months immediately preceding the date of termination of the service of that employee;

(d) where the total continuous employment is for a fraction of a year or extends over a fraction of a year in addition to one or more completed years of continuous employment, such fraction, if it is not less than half a year shall be counted as a year of continuous employment in calculating the total number of years for which the gratuity is to be given.

(2) Where a gratuity is payable under sub-section (1) to an employee, he shall be entitled to receive his wages from the date of termination of his service until the date on which the gratuity so payable is actually paid subject to a maximum of wages for two months.

(3) An employee, who has completed the age of sixty years or who is physically or mentally unfit having been so declared by a medical certificate or who wants to retire on medical grounds or to resign his service, may give up his employment after giving to his employer notice of at least one month and every such employee and the dependent of an employee who dies while in service, shall be entitled to receive a gratuity amounting to fifteen days average wages for each year of continuous employment calculated in the manner provided in the Explanation to sub-section (1). He shall be entitled to receive the wages from the date of giving up the employment until the date on which the gratuity so payable is actually paid, subject to a maximum of wages for two months.

(4) The services of an employee shall not be terminated for misconduct except, for such acts or omissions and in such manner, as may be prescribed.

Explanation :—For the purpose of this section, the term "employee" shall include part-time employee also.

40. Appointment of authority to hear and decide appeals arising out of termination of service :—(1) (a) The Government may, by notification, appoint an authority to hear and decide appeals arising out of the termination of service of employees under section 39.

(b) Any employee whose service has been terminated may appeal to the authority concerned within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) The authority may, after inquiring in the prescribed manner, dismiss the appeal or direct to the reinstatement of the employee with or without wages for the period he was kept out of employment or direct payment of compensation without reinstatement or grant such other relief as it deems fit in the circumstances of the case.

(3) Against any decision of the authority under sub-section (2), a second appeal shall lie to the Labour Court constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act 14 of 1947) within thirty days from the date of communication of the decision and the decision of the Labour Court on such appeal shall be final and binding on both the employer and the employee and shall be given effect to within such time as may be specified in the order of that Court.

(4) Any amount directed to be paid under this section may be recovered—

(a) if the authority is a Magistrate, by the authority, as if it were a fine imposed by him as Magistrate; and

(b) if the authority is not a Magistrate, by any Magistrate to whom the authority makes application in this behalf, as if it were a fine imposed by such Magistrate.

41. Notice and payment of gratuity to employees in case of transfer of establishment.— Where the ownership or management of an establishment is transferred, whether by agreement or by operation of law, from the employer in relation to that establishment to a new employer, every employee who has been in continuous employment for not less than six months in that establishment immediately before such transfer, shall be entitled to the notice and the gratuity in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 39 :

Provided that nothing in this section shall apply to an employee in any case where there has been a change of employers by reason of transfer, if—

(a) the employment of the employee has not been interrupted by such transfer;

(b) the terms and conditions of employment applicable to the employee after such transfer are not in any way less favourable to the employee than those applicable to him immediately before such transfer, and

(c) the new employer is under the terms of such transfer or otherwise, legally liable to pay to the employee in the event of termination of his services, gratuity on the basis that his employment has been continuous and has not been interrupted by the transfer.

CHAPTER VIII

Appointment, power and duties, etc., of the authority to hear and decide claims relating to wages, etc., of employees in establishments.

42. Appointment of the authority to hear and decide claims arising out of deductions from the employees etc.— For any specified area the Government may, in consultation with the Judicial Commissioner, appoint, by notification, any Civil Judge (hereinafter to be referred to as the judicial authority) to hear and decide all claims arising out of deductions from the wages or delay in payment of the wages or gratuity payable under this Act to employees in any establishment in that area.

43. Claims arising out of deductions from wages or delay in payment of wages, etc. and penalty for malicious or vexatious claims.— (1) Where, contrary to the provisions of this Act, any deduction has been made from the wages of an employee in an establishment or any payment of wages or gratuity to him has been delayed, such employee himself, or if he is dead any of his dependants, or any legal practitioner, or any official of a registered trade union authorised in writing to act on behalf of such employee or dependant, or any Inspector under this Act, or any other person acting with the prior permission of the prescribed authority may apply to the judicial authority for a direction under sub-section (2) :

Provided that every such application shall be presented within one year from the date on which the deduction from the wages was made or from the date on which the payment of the wages or gratuity was due to be made, as the case may be :

Provided further the any application may be admitted after the said period of one year when the applicant satisfies the judicial authority that he had sufficient cause for not making the application within such period.

(2) When any application under sub-section (1) is entertained, the judicial authority shall hear the applicant and the employer or give them an opportunity of making representation either in person or through an authorised representative, and after such further inquiry, if any, as may be necessary, may, without prejudice to any other penalty to which such employer is liable under this Act, direct the refund to the employee, of the amount deducted, or the paymant of the delayed wages or the gratuity together with the payment of such compensation as that authority may think fit, not exceeding ten times the amount deducted or the amount of delayed wages and not exceeding twentyfive rupees in case of gratuity :

Provided that no direction for the payment of compensation shall be made in the case of delayed wages of gratuity if the said authority is satisfied that the delay was due to—

(a) a bonafied error or a bonafied dispute as to the amount payable to the employee, or

(b) the existence of exceptional circumstances, such that the employer was unable, though exercising reasonable diligence to make prompt payment, or

(c) the failure of the employee to accept payment

(3) If the said authority hearing any application under this section is satisfied that it was either malicious or vexatious, that authority may direct that a penalty not exceeding five rupees be paid to the employer by the person presenting the application

(4) Any amount directed to be paid under this section may be recovered—

(a) if the authority is a Magistrate, by the authority as if it were a fine imposed by him as a Magistrate; and

(b) if the authority is not a Magistrate, by any Magistrate to whom the authority makes an application in this behalf, as if it were a fine imposed by such Magistrate.

Explanation. For the purposes of this section, the term "employee" shall include part-time employee also.

44. Single application in respect of claims from unpaid group.—(1) Employees are said to belong to the same unpaid group if they are borne on the same establishment and if their wages or gratuity for the same period or periods have remained unpaid after the day on which those were due.

(2) A single application may be presented under section 43 on behalf, or in respect, of any number of employees belonging to the same unpaid group, and in such case the maximum compensation that may be awarded under sub-section (2) of that section shall be twenty five rupees per head

(3) The Judicial authority may deal with any number of separate pending applications, presented under section 43, in respect of persons belonging to the same unpaid group, as if it were single application presented under sub-section (2) of this section, and the provisions of that sub-section shall apply accordingly

45. Appeal.— (1) An appeal against an order dismissing either wholly or in part an application made under sub-section (1) of section 43 or against a direction made under sub-section (2) or sub-section (3) of that section may be preferred

before the District Court within thirty days of the date on which the order or direction was served on the applicant or the employer, as the case may be—

(a) by the employer, if the total sum directed to be paid by way of wages, gratuity and compensation exceeds three hundred rupees, or

(b) by the person who had applied under sub-section (1) of section 43 if the total amount of wages or gratuity claimed to have been with held from the employee or from the unpaid group to which he belonged exceeds fifty rupees, or

(c) by any person directed to pay a penalty under sub-section (2) of section 43.

(2) Save as provided in sub-section (1) any order dismissing either wholly or in part an application made under sub-section (1) of section 43 or a direction made under sub-section (2) or sub-section (3) of that section shall be final.

46. Conditional attachment of property of employer.—(1) Where at any time after an application has been made under sub-section (1) of section 43, the authority, or where at any time after an appeal has been filed under clause (b) of sub-section (1) of section 45, the Court referred to in that section, is satisfied that the employer is likely to evade payment of any amount that may be directed to be paid under section 43 or section 45, the authority or the Court, as the case may be, except in cases where the authority or Court is of opinion that the ends of justice would be defeated by the delay, after giving the employer an opportunity of making representation, may direct the attachment of so much of the property of the employer as is, in the opinion of the authority or Court, sufficient to satisfy the amount which may be payable under the direction.

(2) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) relating to attachement before judgement under that Code shall, so far as may be, apply to any direction for attachment under sub-section (1).

47. Powers of authority appointed under section 42.— Every authority appointed under section 42 shall have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908) for the purpose of taking evidence and of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents, and every such authority shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and of Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898).

48. Powers of Government to prescribe costs and court-fees for proceedings under this chapter.—The Government may prescribe the scales of cost which may be allowed and the amount of Court-fees which will be payable, in respect of any proceedings under this Chapter

CHAPTER IX

Appointment, power and duties of Inspectors

49. Appointment of Inspectors.—The Government may by notification, appoint such number of Inspectors as it may think necessary for the purposes of this Act and fix the local limits of their jurisdiction

50. Powers and duties of Inspectors.—An Inspector may, within the local limits for which he is appointed

(a) enter at all reasonable hours with the assistance of such persons in the service of the Government or any local authority as he thinks fit, any place which is or which he has reason to believe, is used as an establishment;

(b) make such inspection of the premises and of any registers or other records and take on the spot or otherwise evidence of such persons, as he may deem necessary, in the manner prescribed,

(c) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

51. Inspectors to be public servants.—Every Inspector appointed under section 49 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860)

CHAPTER X

Penalties for Offences

52. Penalties.—Any employer who contravenes any of the provisions of sections 4, 5 to 8, 10 to 25, 27 to 39, 41 and 57 shall be punishable for a first offence with fine which may extend to twenty five rupees, for a second offence with fine which shall not be less then fifty rupees and which may extend to one hundred rupees and for a third or subsequent offence with fine which shall not be less than one hundred rupees and which may extend to two hundred and fifty rupees.

Provided that where any employer fails to possess a valid certificate of registration in contravention of the provisions of section 3 or of the rules made thereunder, he shall, on conviction, be punishable, in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to ten rupees for each day during which the offence continues.

53. Penalty for obstructing Inspector, etc.—Any person who wilfully obstructs an Inspector in the exercise of any power conferred on him under this Act, or any person lawfully assisting such Inspector in the exercise of such power, or who fails to comply with any lawful direction made by such Inspector, shall be punishable with fine which may extend to two hundres and fifty rupees.

54. Procedure in trial of offence.—(1) No Court shall take cognizance of a complaint against an employer under section 43 relating to deductions from wages or delay in payment of wages or gratuity payable under this Act to an employee, unless an application in respect of the facts constituting the offence has been presented under section 43 and has been granted wholly or in part and the authority empowered under the latter section or the appellate Court granting such application has sanctioned the making of the complaint.

(2) Before sanctioning the making of a complaint against the employer for such an offence, the authority empowered under section 42 or the appellate Court, as the case may be, shall give such employer an opportunity of showing cause against the granting of such sanction, and the sanction shall not be granted if such employer satisfies the authority or Court that his default was due to—

(a) a bonafide error or bonafide dispute as to the amount payable to the employee, or

(b) the existence of exceptional circumstances such that the employer was unable, though exercising diligence, to make prompt payment; or

(c) the failure of the employee to accept payment

(3) No Court shall take cognizance of a complaint against any person for an offence under section 43 other than the offence referred to in sub-section (1) or for a contravention of any rule made under section 59 except on a complaint made by or with the previous sanction in writing of an Inspector under this Act within six months from the date on which the offence or contravention is alleged to have been committed

(4) In imposing any fine for an offence referred to in sub-section (1), the Court shall take into consideration the amount of any compensation already awarded against the accused in any proceedings taken under section 43

55. Bar of suits.—No Court shall entertain any suit for the recovery of wages or gratuity or of any deduction therefrom in so far as the sum so claimed—

(a) forms the subject of an application under section 43 which has been presented by the plaintiff and which is pending before the authority appointed under section 42 or of an appeal under section 45; or

(b) has formed the subject or a direction under section 43 favour of the plaintiff, or

(c) has been adjudged, in any proceeding under section 43 not to be owed to the plaintiff; or

(d) could have been recovered by an application under section 43.

56. Contracting out.—Any contract or agreement, whether made before or after the commencement of this Act, whereby an employee relinquishes any right conferred by this Act shall be null and void in so far as it purports to deprive him of such right.

CHAPTER XI

Miscellaneous

57. Restriction on double employment, maintenance of registers, records, etc.—(1) No employee shall work in any establishment, nor shall any employer knowingly permit an employee to work in any establishment, on a day or part of a day on which the employee is given a holiday or is on leave in accordance with the provisions of this Act

(2) Subject to the control of the Government, an employer shall maintain such registers and records and display such notices, as may be prescribed. All such registers and records shall be kept, and all such notices shall be displayed on the premises of the establishment to which they relate.

(3) Every employer shall on demand produce or cause to be produced for inspection by an Inspector all registers, records and notices required to be kept by or under this Act

(4) Every employer shall submit such returns relating to his business, in such manner and within such period, and to such authority as may be prescribed.

(5) Every employer shall give an order of appointment to his employee in the establishment before such employee joins the service:

Provided that in the case of an employee in the service at the commencement of this Act, the employer shall give such order of appointment within a period of three months from the date of such commencement

58. **Delegation of powers.**—(1) The Government may, by notification, authorise any officer or authority subordinate to them, to exercise any one or more of the powers vested in them by or under this Act, except the power mentioned in section 59, subject to such restrictions and conditions, if any, as may be specified in the notification.

(2) The exercise of the powers delegated under sub-section (1) shall be subject to control and revision by the Government or by such persons as may be empowered by them in that behalf. The Government shall also have power to control and revise the acts or proceedings of any persons so empowered.

59. **Power to make rules.**—(1) The Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In making a rule under sub-section (1), the Government may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to the conditions of the rules being made after previous publication.

(4) Every rule made under this Act shall, immediately after it is made, be laid before the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu if it is in session and if it is not in session, in the session immediately following, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly agrees in making any modification in the rule or in the annulment of the rule, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

60. **Right and privilege under other law, etc. not affected.**—Nothing in this Act shall affect any rights, privileges which any employee in any establishment is entitled to, on the date on which this Act comes into operation in respect of such establishment, under any other law, contract, custom or usage applicable to such establishment, if such rights or privileges are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act.

61. **Exemptions.**—(1) Nothing in this Act shall apply to—

(a) employees in any establishments whose average monthly wages exceed two thousand five hundred rupees;

(b) establishments under the Central and State Governments, local authorities, cantonment authorities, the Reserve Bank of India, a railway administration operating any railway as defined in clause (20) of article 366 of the Constitution;

(c) establishments in mines and oil fields;

(d) establishments in bazaar or in places where fairs or festivals are held temporarily for a period not exceeding one month at a time.

"(e) establishments belonging to any nationalised, schedule or co-operative bank;

(f) establishments known as 'Gadas' as defined under clause (10-A) of section 2".

(2) Nothing in section 4 or section 10, as the case be, shall apply to—

(a) hospitals and other institutions for treatment or care of the sick, the infirm, destitute or the mentally unfit;

(b) such chemists' or druggists' shops as the Government may by general or special order, specify;

(c) hair-dressing shops, clubs and residential hotels, educational institutions, hostels attached to schools or colleges, and establishments maintained in connection with the boarding and lodging of pupils and resident masters;

(d) stalls and refreshment rooms at railway stations, docks wharves, ports, airports or bus stands,

(e) establishments wholly or principally engaged in the sale of ice or aerated water;

(f) establishments wholly or principally engaged in the sale of funeral requisites.

(3) Nothing in sections 4, 5, 8 or 10 shall apply to—

(a) persons whose work is of an intermittent nature such as caretaker, sweeper, travelling staff

(b) persons employed for loading and unloading goods at godowns.

(4) The Government may, by notification, exempt either permanently or for any specified period, any establishment or class of establishments or persons or classes of persons, from all or any of the provisions of this Act, subject to such condition as they may deem fit.

(5) Notwithsanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Govenment may, by notification, apply all or any of the provisions of this Act to any class of persons or establishment mentioned in those sub-sections other than those mentioned in clause (b) of sub-section (1) and modify or cancel any such notification.

62. **Appointment of an authority to decide certain questions.**—(1) If any question arises whether all or any of the provisions of this Act apply to an establishment or to an employee therein or whether section 61 applies to any case or not, it shall be decided by such authority as may be prescribed by the rules made under this Act.

(2) The decision of such authority shall be final and shall not be liable to be questioned in any Court of law

63. **Application of the Workmen's Compensation Act, 1923** —The provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923 (Central Act 8 of 1923), and the rules made thereunder, shall so far as may be, apply to every employee to whom this Act applies.

64. **Protection of persons acting under this Act.**—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act

65. **Power of Government to suspend provisions of the Act during fairs and festivals.**—On any special occasion in connection with a fair or festival or a succession in connection with a fair or festival or a succession of public holidays, the Government may by notification, suspend for a specified period the operation of all or any of the provisions of this Act, subject to such conditions, as may be specified in such notification.

66 **Weekly Holidays Act 1942 not to apply to establishments governed by this Act.**—On and from the date on which this Act comes into operation in respect of any establishment, the Weelky Holidays Act, 1942 (Central Act 18 of 1942) shall cease to apply to such establishment

67 **Repeal and Savings.**—With effect on and from the date on which this Act is brought into force, the Diploma Legislative No. 1441 dated 28th August, 1952 and the Diploma Legislative No 1503 dated 3rd September, 1953, as in force in the territory shall stand repealed :

Provided that—

(a) every appointment, order, rule, notification or notice made, issued or given under the provisions of any of the Legislative Diplomas so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made issued or given under the provisions of this Act, unless and until superseded by any appointment, order, rule, notification or notice made, issued or given under this Act, and

(b) any proceedings relating to the trial of any offence punishable under the provisions of the Legislative Diplomas so repealed shall be continued and completed as if the said Legislative Diplomas had not been repealed but had continued in operation and any penalty imposed on such proceeding shall be recovered under the Legislative Diplomas so repealed

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054